"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/ तक. 114-009/2003/20-1-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 21] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 26 मई 2006—ज्येष्ठ 5, शक 1928

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 12 मई 2006

क्रमांक ई-1-2/2006/एक/2.—श्री पी. के. मिश्रा द्वारा प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ मिनरल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री शिवराज सिंह, भा.प्र.से. (1973) अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग, सार्वजनिक उपक्रम, खनिज साधन विभाग, प्रबंध संचालक, खनिज विकास निगम एवं अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी/जैव प्रौद्योगिकी विभाग को केवल प्रबंध संचालक, खनिज विकास निगम के प्रभार से मुक्त किया जाता है.

2. श्री एम. के. त्यागी, भा.प्र.से. (1997), संयुक्त सचिव, खनिज साधन विभाग तथा कार्यपालन संचालक, खनिज विकास निगम, विशेष

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2006

कर्त्तव्यस्थ अधिकारी, पुनर्वास जिला दंतेवाड़ा एवं पदेन संयुक्त सचिव, गृह विभाग को केवल कार्यपालन संचालक, खनिज विकास निगम के प्रभार से मुक्त किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. बगाई, मुख्य सचिव.

रायपुर, दिनांक 11 मई 2006

क्रमांक 532/673/1-7/2006.—श्री एस. के. भादुड़ी, मुख्य तकनीकी परीक्षक को पारिवारिक कार्य से दिनांक 19-5-2006 से 27-5-2006 तक (नौ दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. इनके अवकाश अवधि में श्री आर. के. शुक्ला, कार्यपालन अभियंता, मुख्य तकनीकी परीक्षक अपने कार्य के साथ-साथ श्री भादुड़ी का कार्य भी संपादित करेंगे.

3. अवकाश से लौटने पर श्री भादुड़ी को मुख्य तकनीकी परीक्षक के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

4. अवकाश अवधि में उन्हें वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व देय था.

5. प्रमाणित किया जाता है कि श्री भादुड़ी अवकाश पर नहीं जाते तो मुख्य तकनीकी परीक्षक के पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. मिंज, अतिरिक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 12 मई 2006

क्रमांक एफ 9-19/2004/1-8/स्था.—श्री पी. के. मिश्रा (भा.रा.से.), ज्वाईंट कमिश्नर, भारत सरकार, आयकर विभाग, जो कि वर्तमान में प्रतिनियुक्ति पर संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, ऊर्जा विभाग, के पद पर पदस्थ हैं, की सेवायें प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ मिनरल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन में पदस्थ करने हेतु खनिज साधन विभाग को सौंपी जाती है.

2. श्री देवाशीष दास (भावसे), वन संरक्षक, अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राज्य वनोषधि बोर्ड, की सेवायें उनके पैतृक विभाग से लेते हुए तत्काल प्रभाव से, अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, ऊर्जा विभाग पदस्थ किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. आर. सेजकर, अवर सचिव.

रायपुर, दिनांक 15 मई 2006

क्रमांक 369/289/2006/1-8/स्था.—श्री विलियम कुजूर, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग को दिनांक 15-5-2006 से 27-5-2006 तक 13 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री कुजूर को अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री कुजूर अवकाश पर नहीं जाते तो, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग के पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 15 मई 2006

क्रमांक 371/346/2006/1-8/स्था.—श्रीमती विबियाना तिर्की, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग को दिनांक 16-5-2006 से 31-5-2006 तक 16 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्रीमती तिर्की को अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती तिर्की अवकाश पर नहीं जातीं तो, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के पद पर कार्य करती रहतीं.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. के. मंधानी, विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी.

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 17 मई 2006

फा. क्र. 4824/डी-1206/21-ब/छ.ग./06.—भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का सं. 49) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, एतद्द्वारा, पूर्व में जारी इस विभाग की अधिसूचना क्र. 6473/डी-4302/21-ब/03, दिनांक 9-10-2003 के सरल क्रमांक (1) को अतिष्ठित करते हुए, नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम नंबर (2) में विनिर्दिष्ट अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश को उसके कॉलम नं. (3) में इस अधिनियम के अपराधों के विचारण के लिए अधिसूचना जारी होने के दिनांक से विशेष न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट करती है :—

अनुसूची

अनुक्रमांक (1)	विशेष न्यायालय (2)	स्थानीय क्षेत्र/सत्र खण्ड (3)
1.	अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा.	दक्षिण बस्तर, दंतेवाड़ा

F. No. 4824/D-1206/XXI-B/C.G./06.—In exercise of the powers conferred by sub -section (1) of section 3 of the Prevention of Corruption Act, 1988 (49 of 1988) and in supersession of this department's notification No. 6473/D-4302/XXI-B/03, dated 9-3-2003 of serial No. (1) related to Sessions Division, Dakshin Bastar Dantewara specifying Court of Sessions under section 3 of Prevention of Corruption Act, 1988, the State Government hereby appoints the Additional Sessions Judge specified in column (2) of the Schedule below to be the Special Judge for the local area specified in corresponding entries in column (3) thereof to trial the cases exclusively relating to offence mentioned in clause (a) and (b) of the said sub-section of the said Act with effect from issuing the date of notification :—

SCHEDULE

S. No. (1)	Special Court (2)	Local Area/Session Division (3)
1.	Additional Sessions Judge, Dakshin Bastar (Dantewara).	Dakshin Bastar (Dantewara)

रायपुर, दिनांक 17 मई 2006

फा. क्र. 4825/डी-1207/21-ब/छ.ग./06.—भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का सं. 49) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, एतद्द्वारा, पूर्व में जारी अधिसूचना क्र. 9287/डी-2698/21-ब/छ.ग./05, दिनांक 3-12-2005 को अतिष्ठित करते हुए, नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम नंबर (2) में विनिर्दिष्ट प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश को उसके कॉलम नं. (3) में इस अधिनियम के अपराधों के विचारण के लिए अधिसूचना जारी होने के दिनांक से विशेष न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट करती है :—

अनुसूची

अनुक्रमांक (1)	विशेष न्यायालय (2)	स्थानीय क्षेत्र/सत्र खण्ड (3)
1.	प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, बस्तर (जगदलपुर).	बस्तर (जगदलपुर)

F. No. 4825/D-1207/XXI-B/C.G./06.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section-3 of the Prevention of Corruption Act, 1988 (49 of 1988) and in supersession of this department's notification No.9287/D-2698/XXI-B/05, dated 3-12-2005 related to Sessions Division, Bastar (Jagdalpur) specifying Court of Sessions under section 3 of Prevention of Corruption Act, 1988, the State Government hereby appoints the Ist Additional Sessions Judge specified in column (2) of the Schedule below to be the Special Judge for the local area specified in corresponding entries in column (3) thereof to trial the cases exclusively relating to offence mentioned in clause (a) and (b) of the said sub-section of the said Act with effect from issuing the date of notification :—

SCHEDULE

S. No. (1)	Special Court (2)	Local Area/Session Division (3)
1.	Ist Additional Sessions Judge, Bastar (Jagdalpur).	Bastar at Jagdalpur

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
टी. पी. शर्मा, प्रमुख सचिव.

गृह (सामान्य) विभाग
(विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ)
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 16 मई 2006

क्रमांक एफ-9-07/दो/गृह/06.—उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 21 फरवरी, 2006 को प्रश्नपत्र "उद्योग विभाग संबंधी अधिनियम तथा नियम" (पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र जगदलपुर

सरल क्र. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	कु. मनीषा खरे	सहायक प्रबंधक	निम्नस्तर

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. जैन, सचिव.

गृह (परिवहन) विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 10 मई 2006

क्रमांक एफ–5–58/दो/आठ/परि./2005, राज्य शासन छत्तीसगढ़ एवं उत्तरप्रदेश राज्य की सरकार के बीच अन्तर्राज्यीय परिवहन हेतु मोटरयान अधिनियम 1988 (सं. 59 सन् 1988) की धारा 88 की आवश्यकतानुसार पारस्परिक करार (जिसे इसमें इसके पश्चात् करार कहा गया है) एक करार किया जाना आवश्यक हो गया है।

यह करार आज दिनांक 27.09.2005 को उत्तरप्रदेश के राज्यपाल (जिन्हें इसमें आगे उत्तरप्रदेश सरकार कहा गया है और जिसमें पदासीन उनके उत्तराधिकारी भी सम्मिलित है) प्रथम पक्ष तथा छत्तीसगढ़ के राज्यपाल (जिन्हें आगे छत्तीसगढ़ सरकार कहा गया है, और जिसमें उनके पदासीन उत्तराधिकारी भी सम्मिलित है) द्वितीय पक्ष के बीच सम्पन्न हुआ है, मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 88 (5) की अपेक्षानुसार ऐसे व्यक्ति जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है तथा एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप करार राजपत्र में प्रकाशन के 30 दिवस के अंदर इस प्रारूप करार के संबंध में प्रस्ताव अथवा अभ्यावेदन अपर मुख्य सचिव, गृह (परिवहन) विभाग, छत्तीसगढ़ शासन को भेजा जावें।

अपर मुख्य सचिव गृह (परिवहन) विभाग, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा उक्त प्रारूप करार के संबंध में किसी व्यक्ति से उपरोक्त उल्लेखित तिथि से पूर्व प्राप्त सुझाव या अभ्यावेदन पर विचार किया जावेगा।

अतएव छत्तीसगढ़ सरकार एवं उत्तरप्रदेश सरकार, करार में उल्लेखित निबधंनों एवं शर्तो के अधीन यह पारस्परिक करार करते है।

1. <u>कराधान</u>–

(क) नीचे प्रमाणित मोटरयानों के प्रकार –

(एक) जो छत्तीसगढ़ राज्य में रजिस्ट्रीकृत है तथा इस करार के अधीन उत्तरप्रदेश राज्य में प्रचलित किये जा रहे है, उत्तरप्रदेश राज्य में उत्तरप्रदेश मोटरगाड़ी कराधान अधिनियम 1997 के विद्यमान उपबन्धों के अधीन उन पर लागू मोटरयान कर के

संदाय से छूट प्राप्त होगी, किन्तु उत्तर प्रदेश राज्य में उद्ग्रहणीय अतिरिक्त कर के संदाय से दायी होंगे और,

(दो) जो उत्तर प्रदेश राज्य में रजिस्ट्रीकृत हैं तथा इस करार के अधीन छत्तीसगढ़ राज्य में प्रचलित किये जा रहे हैं, छत्तीसगढ़ राज्य में छत्तीसगढ़ कराधान अधिनियम, 1991 के उपबन्धों के अधीन प्रतिहस्ताक्षर श्रेणी की मंजिली गाड़ियों के लिए निर्धारित कर के, दायी रहेंगे। यह छूट "एकल बिन्दु कर छूट" कही जावेगी।

(i) इस करार के परिशिष्ट में सम्मिलित मार्गो पर तथा फेरों की संख्या के लिए मूल अनुज्ञा–पत्र पर प्रतिहस्ताक्षर के अधीन चलायी जा रही मंजिली गाड़ियां,

(ii) इस करार के परिशिष्ट में सम्मिलित मार्गो तथा फेरों की संख्या के लिए मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 87(1)(घ) के अधीन सभी प्रकार के मूल अनुज्ञा–पत्रों के नवीनीकरण लम्बित रहने के दोरान जारी अस्थायी अनुज्ञा–पत्रों में समाविष्ट प्रतिहस्ताक्षर के अधीन मंजिली गाड़िया,

(ख) सभी माल यानों को जो मूल अनुज्ञा–पत्रों पर या मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 87(1)(घ) के अधीन मूल अनुज्ञा–पत्रों के नवीनीकरण लम्बित रहने के दौरान जारी किये गये अस्थायी अनुज्ञा–पत्रों पर करार पाये गये कोटे के भीतर पारस्परिक करारकर्ता राज्य के परिवहन प्राधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किये जाकर चलाये जा रहे हैं–

(एक) उत्तर प्रदेश राज्य में उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान अधिनियम, 1997 के विद्यमान उपबन्धों के अधीन उन पर लागू मोटरयान कर के संदाय से छूट प्राप्त होगी, किन्तु उत्तर प्रदेश राज्य में उद्ग्रहणीय अतिरिक्त कर के संदाय के दायी होंगे।

(दो) ऐसे यान पर गृह राज्य में उद्ग्रहणीय मोटरयान कर की धनराशि की सीमा तक छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा में मोटरयान कर के संदाय से छूट प्राप्त होगी।

(ग) ठेका गाड़ी जो इस करार के खण्ड–6 के अनुसरण में जारी किये गये मूल अनुज्ञा–पत्रों पर या मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा– 87(1)(घ) के अधीन मूल अनुज्ञा–पत्रों के नवीनीकरण लम्बित रहने के दौरान जारी

किये गये अस्थायी अनुज्ञा–पत्र पर पारस्परिक करारकर्ता राज्यों के परिवहन प्राधिकारियों द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किये जाने के पश्चात चलाये जा रहे, पारस्परिक करारकर्ता राज्य में मोटरयान कर के संदाय से छूट प्राप्त होगी।

(घ) वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए उपयोग किये जाने वाले यानों से भिन्न सभी प्रकार के मोटरयानों को जो अनन्यतः एक राज्य के स्वामित्व द्वारा और सरकार के प्रयोजनों के लिए उपयोग किये जाय, पारस्परिक करारकर्ता राज्य में उदग्रहणीय समस्त करों के संदाय से छूट प्राप्त होगी।

(ड0) समस्त प्रकार के मोटरयान, जो उपरोक्त खण्ड (क) से (घ) में समाविष्ट नहीं हैं, पारस्परिक करारकर्ता राज्य में उद्ग्रहणीय समस्त करों का जबकि उस राज्य में प्रचलित किये जा रहे हों संदाय करने के दायी होंगे।

(च) पारस्परिक करारकर्ता, राज्य उपरोक्त खण्ड (क) से (घ) के अनुसरण में अपने–अपने कराधान अधिनियमों के अधीन समुचित छूट की अधिसूचनायें जारी करेंगे और उसकी प्रतियां अन्य राज्य को अभिलेख के लिए भेजेगें।

स्पष्टीकरण– इस करार के प्रयोजन के लिएः–

(एक) किसी मोटरयान के सम्बन्ध में शब्द "एकल बिन्दु मोटरयान कर" या शब्द "एकल बिन्दु कर आधार" से अभिप्रेत है, गृह राज्य में मोटरयान कर/कर, यात्रीकर/अतिरिक्त कर (चाहें जिस नाम से भी इन करों को जाना जाय) के संदाय का दायित्व, किन्तु पारस्परिक करारकर्ता राज्य में मोटरयान कर/कर के संदाय किये जाने से छूट और पारस्परिक करारकर्ता राज्य में केवल मोटरयान कर का ही आरोपण हो तो गृह राज्य में भुगतान किये गये कर के धनराशि की सीमा तक पारस्परिक करारकर्ता राज्य, में मोटरयान कर से छूट ।

(दो) किसी मोटरयान के सम्बन्ध में शब्द "द्वि बिन्दु कर आधार" से अभिप्रेत है, दोनों राज्यों में सड़क कर/मोटरयान कर तथा यात्री कर अथवा अतिरिक्त कर सम्मिलित करते हुए या अन्य किसी नाम से उद्ग्रहीत किये जाने वाले सभी करों के संदाय का दायित्व ।

2– करों के संदाय का ढंग

(क) अनुज्ञा–पत्र जारी करने वाला प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि किसी अस्थायी अनुज्ञा–पत्र या विशेष अनुज्ञा–पत्र को जारी करने के पूर्व पारस्परिक करारकर्ता राज्य के समस्त कर, अग्रिम रूप से भारतीय स्टेट बैंक के नाम पर लिखे गये डिमान्ड ड्राफ्ट द्वारा संदत्त कर दिये गये हैं, यद्यपि दोनों में कोई भी राज्य चेक पोस्टों पर अपने करों की वसूली की अपेक्षा कर सकेगा।

(ख) प्रत्येक डिमान्ड ड्राफ्ट का क्रमांक और रकम जिसके माध्यम से प्रचालक द्वारा अन्य राज्यों के करों को प्रेषित किया जा चुका है, अस्थायी अनुज्ञा–पत्र/विशेष अनुज्ञा–पत्र के मुख्य पृष्ठ पर स्पष्ट रूप से पृष्ठांकित की जायेगी।

(ग) समस्त अस्थायी अनुज्ञा–पत्रों तथा विशेष अनुज्ञा–पत्रों की प्रतियां भारतीय स्टेट बैंक के नाम लिए गये डिमान्ड ड्राफ्टों, अन्य सुसंगत जानकारी के साथ निम्नलिखित निर्देशन–पत्र (प्रोफार्मा) में सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकारी, छत्तीसगढ़, रायपुर को तुरन्त भेजी जायेगी और उत्तर प्रदेश की दशा में ऐसे अस्थायी अनुज्ञा–पत्रों/विशेष अनुज्ञा–पत्रों की प्रतियां मासिक अन्तराल पर डिमान्ड ड्राफ्टों के साथ परिवहन आयुक्त (केन्द्रीयपूल), उत्तर प्रदेश लखनऊ को भेजी जायेगीं:–

अनुक्रमांक	यान के स्वामी का नाम तथा पता	अनुज्ञा–पत्र क्रमांक तथा यान क्रमांक	यान का सकल यान भार तथा यान की बैठने की क्षमता	अनुज्ञा पत्र की वैधता तारीख		बैंक ड्राफ्ट की संख्या और धनराशि
				से	तक	
1	2	3	4	5	6	7

3. मालयान (मूल अनुज्ञा–पत्र):–

(क) यह करार पाया गया कि एक राज्य / प्रादेशित परिवहन प्राधिकारी की सिफारिश पर अन्य राज्य के परिवहन प्राधिकारियों द्वारा एकल बिन्दु कर आधार पर माल यानों के अनुज्ञा–पत्र प्रतिहस्ताक्षरित किये जायेगें। ऐसे प्रतिहस्ताक्षर प्रत्येक राज्य के समस्त राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गो के लिए राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गो के किसी भी ओर 30 (तीस) किलोमीटर पथान्तर के साथ मंजूर किये जायेंगे। जिससे कि यान उस क्षेत्र के समुदाय की आवश्यकताओं को पूरा करने में समर्थ हो सके।

(ख) प्रतिहस्ताक्षरित अनुज्ञा–पत्रों के अधीन प्रचलित होने वाले माल यानों का उपयोग अनन्यतः पारस्परिक करारकर्ता राज्य के राज्य क्षेत्र के भीतर पड़ने वाले किन्हीं दो बिन्दुओं के बीच माल को चढ़ाने और उतारने के लिए नहीं किया जायेगा, अर्थात जैसे मामलों में यानों का अनन्तः प्रतिहस्ताक्षरित करने वाले राज्य के राज्य क्षेत्र के भीतर माल के परिवहन का कोई भी कारवार करने से प्रतिषिद्ध किया जायेगा और वे ऐसी शर्तो के अधीन होंगे जैसी मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा– 79 तथा 84 के अधीन सम्बन्धित परिवहन प्राधिकारी अधिरोपित करना उचित समझे।

4– **अस्थायी अनुज्ञा–पत्र जारी करने के लिए साधारण सहमतिः–**

(क) मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा– 88(7) उपवन्धित करती है कि धारा 88 (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, एक प्रदेश का प्रादेशित परिवहन प्राधिकारी धारा–87 के अधीन अस्थायी अनुज्ञा–पत्र, जो दूसरे राज्य में विधिमान्य होगा, उस राज्य परिवहन प्राधिकारी की सहमति से साधारणतया विशिष्ट अवसर के लिए जारी कर सकेगा।

विधि के इस विशिष्ट उपवन्ध को ध्यान में रखते हुए यह करार पाया गया है कि दोनों राज्यों के राज्य परिवहन प्राधिकारी इस करार के खण्ड– 5, 7 तथा 11 के उपबन्धों के अधीन आवश्यकता अनुसार मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा– 88 (1) के अधीन प्रतिहस्ताक्षर की अपेक्षा किये बिना मालयान और ठेका गाड़ियों के लिए अस्थायी अनुज्ञा–पत्र जारी कर सकेंगे।

5– **मालयान (अस्थायी अनुज्ञा–पत्र)**

(क) उपरोक्त खण्ड–4 के उपबन्ध के अधीन रहते हुए आवश्यकता अनुसार दोनों में से किसी भी राज्य द्वारा 30 (तीस) दिन से अनधिक के लिए, पारस्परिक करारकर्ता राज्य के प्रतिबन्धित मार्गो को छोड़कर दोनों ओर के 30 किलोमीटर तक पथान्तर सहित सभी राष्ट्रीय और राजमार्गो पर चलाने के लिए मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 87 के उपबन्धों के अनुसार फेरों की संख्या पर किसी निर्बन्धनों के बिना और पारस्परिक करारकर्ता राज्य के परिवहन प्राधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर के बिना द्विबिन्दु कराधार पर मालयान अनुज्ञा–पत्र आवश्यकतानुसार जारी किये जा सकेंगें।

(ख) यह अनुज्ञा–पत्र निम्नलिखित शर्तो के अधीन जारी किये जा सकेंगें–

(एक) पारस्परिक करारकर्ता राज्य को अधिकारिता के भीतर पूर्णतः स्थित किन्तु दो बिन्दुओं के बीच कोई माल न तो चढ़ाया जायेगा और न ही उतारा जायेगा। अर्थात ऐसे यान अन्य राज्य के राज्य क्षेत्र के भीतर अनन्यतः परिवहन के किसी भी कारोबार पर चलाये जाने के लिए प्रतिषिद्ध रहेंगे।

(दो) प्रचालन किसी अन्य शर्तों का जिन्हें परिवहन प्राधिकारी मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 79 (2) के अधीन अधिरोपित करना समझे, पालन करेगा।

6. **ठेका गाड़ी (मूल अनुज्ञा–पत्र)**

पर्यटन और वाणिज्यिक व्यापार के विकास के हित में दोनों में से किसी भी राज्य की ठेका गाड़ी पर्यटन यानों के अनुज्ञा–पत्रों (तिपहिया और स्टेशन बैगन प्रकार की वाहनों से भिन्न) को संख्या सम्बन्धी किसी भी निर्बन्धन के बिना पारस्परिक करारकर्ता राज्य के किसी भी क्षेत्र के लिए एकल बिन्दु कर आधार पर प्रतिहस्ताक्षर किया जा सकेगा।

7. **ठेका गाड़ी अस्थायी अनुज्ञा–पत्रः–**

उपरोक्त खण्ड–4 के अधीन आवश्यकतानुसार एक राज्य के परिवहन प्राधिकारी द्वारा पारस्परिक राज्य में विनिर्दिष्ट टर्मिनलों को जोड़ने वाले विनिर्दिष्ट मार्गो के लिए पारस्परिक करारकर्ता राज्य के परिवहन प्राधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षर की अपेक्षा के बिना ठेका गाड़ी के लिए अस्थायी अनुज्ञा–पत्र जारी किये जा सकेगें। ऐसे अस्थायी अनुज्ञा–पत्र पर अन्य राज्यों को देय कर का संदाय इस करार के अनुच्छेद–2 में विहित रीति से किया जायेगा तथापि यदि किसी कारण से एक राज्य द्वारा जारी किये गये अनुज्ञा–पत्र की वैधता अन्य राज्य के क्षेत्र में समाप्त होती है तो ऐसे परिवहन प्राधिकारी से जिसकी अधिकारिता में उस समय यान हो, आवश्यक फीस और करों का संदाय करने के पश्चात् एक नया अनुज्ञा–पत्र प्राप्त किया जायेगा।

(क) ऐसे अस्थायी अनुज्ञा–पत्र निम्नलिखित शर्तों के अधीन होंगे–

(एक) ऐसे अस्थायी अनुज्ञा–पत्र पारस्परिक करारकर्ता राज्य में 15 (पन्द्रह) दिवस अवधि से अनधिक कालावधि के लिए विधिमान्य होंगे।

(दो) रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र में विनिर्दिष्ट की गयी बैठक क्षमता से अधिक यात्रियों को न हीं ले जाया जायेगा और न ही खड़े रहने वाले यात्रियों को अनुज्ञात किया जावेगा।

(तीन) ठेका गाड़ी एक ही पक्ष द्वारा किराये पर ली जायेगी और एकल वापिसी यात्रा के लिए उपयुक्त की जायेगी।

(ख) ऐसे अस्थायी अनुज्ञा–पत्र में बाहर जाने की तारीख तथा वापिसी यात्रा की तारीख स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट की जायेगा। यदि किसी अस्थायी अनुज्ञा–पत्र पर ठेका गाड़ी को लगाने वाला कतिपय पक्ष अनुज्ञा–पत्र मंजूर करने के पश्चात् वापिसी यात्रा की तारीख बदलवाना चाहता है तो वह ऐसे परिवहन प्राधिकारी से जिसकी अधिकारिता में उस समय ठेका गाड़ी हो, इस बावत लिखित रूप से अनुज्ञा–पत्र प्राप्त करेगा।

(ग) ऐसे अस्थायी अनुज्ञापत्र द्विय बिन्दु कर आधार पर जारी किये जायेंगे।

8— **विशेष अनुज्ञापत्रः—**

किसी भी राज्य के परिवहन प्राधिकारियों द्वारा मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा–88(8) के अधीन जारी किये जाने वाले विशेष अनुज्ञापत्रों की संख्या पर कोई निर्बन्धन नहीं होगा। ऐसे अनुज्ञापत्र पारस्परिक करार कर्ता राज्य में 30 दिन अनधिक कालावधि के लिए विधिमान्य होंगे। और द्विय बिन्दु कर आधार पर जारी किये जायेंगे।

9— **मंजिली गाड़ियाँः—**

निम्न लिखित सामान्य सिद्वान्तों पर करार किया गयाः—

(क) छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश के बीच में अन्तर्राज्यिक मार्गो पर एकल बिन्दु कर आधार पर मंजिली गाड़ियों का संचालन परिशिष्ट में अन्तर्विष्ट ब्यौरे के अनुसार होगा।

(ख) परिशिष्ट में विनिर्दिष्ट ऐसे मार्गो, जिनका उत्तर प्रदेश में पड़ने वाला भाग अधिसूचित है, पर उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा संचालन किया जायेगा, परन्तु जहाँ उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम परिशिष्ट में विनिर्दिष्ट ब्यौरे के अनुसार सेवायें संचालित नहीं कर पायेगा, ऐसे मार्गो पर परिवहन निगम से भिन्न संचालकों को भी संचालन की अनुमति दी जा सकेगी। अनधिसूचित मार्गो पर उत्तर प्रदेश की ओर से निजी संचालकों द्वारा संचालन किया जायेगा। छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा नामित संचालक परिशिष्ट में विनिर्दिष्ट मार्गो पर संचालन कर सकेंगे।

(ग) छत्तीसगढ़ राज्य की ओर से संचालित होने वाली मंजिली गाड़ियों को राज्य परिवहन प्राधिकार, छत्तीसगढ़ द्वारा निर्धारित रंग योजना के अनुरूप वाहनों पर रंग कराया जाना अनिवार्य होगा।

(घ) प्रत्येक अन्तर्राज्यिक मार्ग पर प्रत्येक राज्य के लिये आवंटित फेरों की संख्या यथासंभव प्रत्येक राज्य में पड़ने वाले माइलेज (कि0मी0) के अनुसार निर्धारित की जावेगी. इस करार के प्रयोजन के लिये किसी फेरे से अभिप्रेत होगा, एक एकल फेरा। परिशिष्ट में विनिर्दिष्ट मार्ग का तात्पर्य सदैव दो राज्यों के अन्तिम स्टेशनों के बीच के स्थानों (वायाज) सहित जोड़ने वाला सबसे कम दूरी का सीधा मार्ग होगा और उक्त परिशिष्ट में परिदर्शित कि0मी0 में बाद में पायी गयी किसी विसंगति को दोनों राज्यों के परिवहन अधिकारियों के बीच तत्परता से पत्र व्यवहार के माध्यम से ठीक किया जावेगा और उसे करार के उपान्तरण के रूप में नहीं समझा जायेगा।

(ङ.) प्रारम्भिक समय सारिणी का निर्धारण अनुज्ञा पत्र मन्जूर करने वाले प्राधिकारी द्वारा बिल्कुल अनन्तिम आधार पर किया जावेगा। जो अधिकतम चार मास कालावधि के लिए विधिमान्य होगा और सेवा का तत्काल प्रचालन करने के लिए ऐसा प्रतिहस्ताक्षर किया जावेगा। इस कालावधि के दौरान प्रतिहस्ताक्षर करने वाला प्राधिकारी अनुज्ञा पत्र मन्जूर करने वाले प्राधिकारी के परामर्श से समय सारिणी को अन्तिम रूप देगा।

(च) दोनों राज्यों की बसों का संचालन विन्दु एक ही होगा अर्थात उत्तर प्रदेश राज्य की बसों का संचालन छत्तीसगढ़ राज्य के बस स्टैण्ड तथा छत्तीसगढ़ राज्य की बसों का संचालन उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के बस स्टैण्ड से किया जायेगा। उपयोग किये जाने वाले बस स्टैण्ड का देय चार्ज एक–दूसरे को देय होगा।

(छ) प्रत्येक राज्य के राज्य क्षेत्र के भीतर पड़ने वाले मार्गों पर प्रचालन के लिए लिया जाने वाला अधिकतम किराया और भाड़ा संबंधित राज्य सरकारों द्वारा विहित किये गये के अनुसार होगा। एक राज्य से जारी किये गये टिकटों का प्रारूप अन्य राज्य में विधिमान्य समझा जावेगा।

(ज) बेड़ा स्वामियों द्वारा संचालित मार्गों के संबंध में ऐसे मार्गों के भागों पर यात्रियों को चढ़ाने और उतारने के लिए प्रतिहस्ताक्षर करने वाले प्राधिकारियों द्वारा कोई भी प्रतिबन्ध अधिरोपित नहीं किये जावेंगे। अन्य मामलों में प्रतिहस्ताक्षर करने वाले प्राधिकारी द्वारा यदि आवश्यक मत समझा जाय, ऐसे प्रतिबन्धन अधिरोपित किए जा सकेंगे।

(झ) स्थायी/अस्थायी अनुज्ञा-पत्र जारी करने की तिथि से 15 दिवस के अन्दर सम्बन्धित राज्य को प्रतिहस्ताक्षर हेतु आवेदन करेगा अन्यथा स्वीकृत अनुज्ञा-पत्र निरस्त किया जा सकेगा।

(ट) प्रत्येक प्रतिहस्ताक्षरित राज्य बकाया कर की वसूली हेतु यथा सम्भव एक दूसरे की सहायता करेंगे।

10– **सामान्यतः**

(एक) पारस्परिक करार कर्ता राज्य इस करार के अनुशरण में चल रहे यान के सम्बन्ध में टोकनों, रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्रों, परिचालन के अनुज्ञप्तियों तथा स्वस्थता प्रमाण-पत्र आदि के प्रमाण-पत्रों को मान्यता देगें।

(दो) यान का सकल भार पारस्परिक करार कर्ता राज्य में अधिकतम अनुज्ञेय सकलयान भार से अधिक नहीं होगा और अनुज्ञा-पत्रों पर प्रतिहस्ताक्षर करते समय इस प्रकार की शर्त अधिरोपित की जा सकेगी।

इस साक्ष्य में इसके पक्षकारों ने प्रथम ऊपर उल्लेखित दिनांक 27-9.- और वर्ष 2005 को इस करार पर हस्ताक्षर कर दिये हैं।

हस्ता./-
(वाय. के. एस. ठाकुर)
विशेष सचिव,
परिवहन विभाग,
छत्तीसगढ़ शासन

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के लिए और उनकी ओर से

हस्ता./-
(गजेन्द्र पाल)
विशेष सचिव,
परिवहन विभाग,
उत्तर प्रदेश सरकार

उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के लिए और उनकी ओर से

साक्षी,

हस्ता./-
(बी. एल. ध्रुव)
सहायक परिवहन आयुक्त,
छत्तीसगढ़, रायपुर

साक्षी,

हस्ता./-
(जे. ए. सिद्दीकी)
सचिव
राज्य परिवहन प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश

"परिशिष्ट"

उत्तर प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्य के मध्य मंजिली गाड़ियोंके संचालन हेतु मार्गो का विवरण

क्र0 कि	मार्ग का नाम	दूरी किलो मीटर		कुल दूरी कि0 मी0	करार पाये फेरों की संख्या		अनुज्ञापत्रों की निर्धारित संख्या		संचालन कुल किलो मीटर	
		उ0प्र0	छत्तीसगढ़		उ0प्र0	छत्तीसगढ़	उ0प्र0	छत्तीसगढ़	उ0प्र0 के प्रचालकों द्वारा छत्तीसगढ़ में	छत्तीसगढ़ के प्रचालकों द्वारा उ0प्र0 में
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	अम्बिकापुर से रेहन्डम वाया म्योरपुर	64	103	167	8	8	4	4	824	512
2	वाड्रफनगर से रेनूकोट	69	17	86	8	2	4	1	136	138
3	कोरबा से वाराणसी वाया कटघोरा, अम्बिकापुर, प्रतापपुर धनवार	213	291	504	2	2	2	2	582	426
4	अम्बिकापुर से बाराणसी वाया प्रतापपुर, रेनूकोट राबर्टसगंज, अहरौरा	213	113	326	2	2	2	2	226	426
5	अम्बिकापुर से इलाहाबाद वाया मनेन्द्रगढ़, शहडौल, रीवा	48	छ.ग.141 म.प्र.371	560	2	4	2	4	282	192

6	बिलासपुर से इलाहाबाद वाया अचानकमार, शहडौल, रीवां	48	छ.ग.119 म.प्र.243	410	2	2	2	2	238	96
7	रायपुर से इलाबाद वाया विलासपुर, अनूपपुर, शहडौल, रीवा	48	छ.ग.241 म.प्र.234	523	2	2	2	2	482	96
8	अम्बिकापुर से बिजपुर वाया प्रतापुर, वाड्रफनगर, बभनी	56	111	167	4	8	2	4	444	448
9	अम्बिकापुर से शक्तिनगर वाया प्रतापुर, वाड्रफनगर, बभनी, रेनूकोट	84	111	195	4	8	4	8	444	672
10	बाल्को से शक्तिनगर वाया कोरवा, कटघोरा, अम्बिकापुर, प्रतापपुर, वाड्रफनगर, बभनी, रेनूकोट	84	311	395	4	8	4	8	1244	672
11	अम्बिकापुर से शक्तिनगर वाया प्रतापुर, वाड्रफनगर, बलगी, बैढ़न, बिन्ध्यनगर	15	160	175	4	8	4	8	640	96
12	बिलासपुर से शक्तिनगर वाया कटघोरा, अम्बिकापुर, प्रतापपुर, वाड्रफनगर, बभनी, रेनूकोट	84	341	425	4	8	4	8	1364	672
13	जसपुर से वाराणसी वाया अम्बिकापुर,	213	308	521	2	2	2	2	616	426
14	रायगढ़ से वाराणसी वाया अम्बिकापुर	213	308	521	2	2	2	2	616	426
	कुल कि0मी0								8138	5298

रायपुर, दिनांक 10 मई 2006

क्रमांक. एफ-5-58/दो/आठ/परि./2005.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड 3 के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना समसंख्यक दिनांक 27-9-2005 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

Raipur, the 10th May 2006

No. F-5-58/Two/Eight/Tra./2005. Whereas it is necessary to revise and enter into a fresh Reciprocal Transport Agreement (hereinafter called agreement) between the Government of Uttar Pradesh & Chhattisgarh State for inter State transport under section 88 of the Motor Vehicle Act,1988 (No.59 of 1988)

This draft agreement made on the 27 September 2005 between the Government of Chhattisgarh (hereinafter called "The Government of Chhattisgarh") of the one part and the Government of Uttar Pradesh (hereinafter called "The Government of Uttar Pradesh") of the other, is hereby, published as required by sub-section (5) of section 88 of the said Act for information all likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft agreement will be taken in to consideration by the Addl. Chief Secretary Government of Chhattisgarh Home (Transport) Department after the Expiry of thirty (30) days from the date of publication of this notification in Chhattisgarh Gazette.

Proposal of representation to this draft agreement may be sent to the Addl. Chief Secretary Government of Chhattisgarh Home (Transport) Department.

Now therefore the Government of Uttar Pradesh & Government Chhattisgarh hereby enters in to this agreement on the terms and Conditions set out hereinafter.

1. TAXATION:-

(a) The type of motor vehicle enumerated below:-

(i) Which are registered in the State of Chhattisgarh and are operating under this agreement in the State of Uttar Pradesh shall be exempted from the payment of Motor Vehicle Tax, applicable to them in the State of Uttar Pradesh under the existing provisions of the Uttar Pradesh Motor Vehicle

Taxation Act,1997, but shall be liable to pay Additional tax leviable in the State of Uttar Pradesh; and.

(ii) Which are registered in the State of Uttar Pradesh and operating under this agreement in the State of Chhattisgarh shall be exempted from the payment of Motor Vehicle Tax in Chhattisgarh. Taxation Act, 1991 in proportion to the amount of Motor Vehicle Tax leviable on such vehicle in the Home State-

(1) state carriages plying on substantive permits on routes and for the number of trips incorporated in Appendex "A" to this agreement.

(2) state carriages covered with a temporary permit issued during the pendency of renewal of all kinds of substantive permit under Section 87 (1) (d) of the Motor Vehicle Act, 1988 for the routes and the number of trips incorporated in the Appendix "A" to the agreement.

(b) All goods carriages plying on substantive permits or permits issued during the pendency of renewal of permits under Section 87 (1) (d) of the Motor Vehicle Act. 1988, countersigned by the Transport Authority of the reciprocating State within the agreed quota-

(i) shall be exempted from the Motor Vehicle tax in the State of Uttar Pradesh applicable to them under the existing provisions of the united provinces Motor Vehicle Taxation Act, 1997 but shall be lible to pay the Additional Tax leviable in the State of Utter Pradesh.

(ii) shall be exempted from the payment of Motor Vehicles Tax in the State of Chhattisgarh to the extent of amount of Motor Vehicles Tax leviable on such vehicle in the Home State.

(c) Contract carriage motor-cabs plying on substantive permits issued in pursuance of clause 6 of this agreement or Temporary permits issued during the pendency of renewal of such substantive permits under Section 87 (1) (d) of the Motor Vehicle Act, 1988 and countersigned by the Transport Authority of the reciprocating State. shall be exempted from the payment of Motor Vehicle Tax in the reciprocating State.

(d) All types of Motor Vehicles exclusively owned by used for the purposes of Government of one State other than those

use for commercial purposes shall be exempted from payment of all the taxes leviable in the reciprocating State.

(e) All types of Motor Vehicles not covered by sub-section (a) to (d) above shall be liable to pay all the taxes leviable in the reciprocating State, while operation in the State.

(f) Reciprocating State shall issue appropriate exemption notifications under respective taxation Acts in pursuance of sub-clause (a) to (d) above and shall send the copies there of the other State for record.

Explanation- for the purpose of this agreement –

(i) The word " Single point Motor Vehicle Tax", or the words "single point Tax basis", in respect of a motor vehicle means the liability of payment of Motor Vehicle Tax/Road Tax in the home State but exemption therefrom in the reciprocating State to the extent mentioned in this clause. However other taxes shall be payable in both States ;

(ii) The words "Double point Tax Basis" in respect of motor vehicles means the liability of payment of all the taxes including Road Tax/Motor Vehicle Tax/Tolls in both States.

2. Mode of payment of Taxes :

(a) The permit issuing authority shall ensure that all taxes of the reciprocating State are paid in advance by Demand Drafts drawn on the State Bank of India before any temporary permit or special permit is issued, though either State may require recovery of its taxes at check posts.

(b) The number and amount of each demand Draft though which taxes of the other State have been remitted by the operation shall be clearly endorsed on the face of temporary permits/special permit.

(c) Copies of all temporary permits and special permit together with Demand Drafts drawn on the State Bank of India other relevant information in the following proforma shall immediately be sent to the Secretary, State Transport Authority, Chhattisgarh Raipur and in the case of Uttar Pradesh copies of such temporary permits /special permits shall be sent to the Transport Commissioner (Central Pool) Uttar Pradesh Lucknow along with Demand Drafts at monthly intervals.

Serial No	Vehicle owner's Name & Address	Permit No & Vehicle No	G.V.W. of the Vehicle and seating capacity of Vehicle	Validity of the permit		Bank Draft No and Amount	Demand Draft issued date
				From	To		
1	2	3	4	5	6	7	8

3. Goods Carriage (substantive Permits) :-

(a) It is agreed that the permits for a total 3,000 (Three Thousand) goods carriages belonging to each State shall be countersigned by the Transport Authorities of the other State on the recommendations of the State/Regional Transport Authority concerned on single point tax basis. Such countersignatures shall be each State for all National and State Highways of the reciprocating State with a deviation of 30 (Thirty) Kilometers on either side of the National and State Highways to enable the vehicle to cater the needs of the community of that area. A list of such National and State Highways so permitted is attached to this agreement as Appendix "B"

(b) The goods carriages operating under counter-signature permits shall not be used for picking up and setting down of goods between any two points lying exclusively within the territory of the reciprocating State that is to say in such cases vehicles shall be prohibited from carrying on any business of transporting goods exclusively within the territory of the countersigning State and shall be subject to such conditions as the concerned Transport Authority may deem fit to impose under sections 79 and 84 of the Motor Vehicle Act,1988.

4. Genral Concurrence for issue of Temporary Permits :-

Section 88 (7) of the Motor Vehicle Act,1988 provides that notwithstanding anything contained in Section 88 (1). a Regional Transport Authority of one region may issue a temporary permit under Section 87 to be valid in another State, with the concurrence, given generally or for the particular occasion, of the State Transport Authority of that other State.

In view of this specific provision of the law, it is agreed that State Authorities of both the States may accord general concurrence

under Section 88 (7) of the Motor Vehicle Act, 1988 for the issue of the temporary permits for goods carriages and contract carriages (omni buses and motor cabs) in this agreement as per need without the requirement of countersignature under Section 88 (1) of the Motor Vehicles Act. 1988. Such general concurrence may be accorded on or before the coming in to force of this agreement, and copies thereof shall be exchanged by both the State for record.

5. Goods Carriages (Temporary Permits) :-

(a) Subject to the provision of clause for above goods carriage temporary permit as per need may be issued for a period not exceeding 30 (Thirty) days by either State in accordance with the provisions of Sections 87 (1) for 87 (2) of the Motor Vehicles Act. 1988 for plying on all National and State Highways with a deviation up t0 30 kms. on either side, except on prohibited routes in the reciprocating State, without any restrictions on the number of trips and without countersignature of the Transport Authority of reciprocating State, on the double point tax basis.

(b) These permits shall be issued subject to the following conditions :-

(i) that no goods shall be picked up or set down between any two points lying wholly within the jurisdiction of the reciprocating State i.e. such vehicle shall be prohibited from carrying on any business of Transport exclusively within the territory of the other State.

(ii) That an operator shall abide by any another conditions with the Transport Authority may deem fit to impose under Section 79 (2) of the Motor Vehicle Act, 1988.

6. Contract Carriage (Substantive Permits):-

In the interest of development of tourist and commercial trade, contract carriage permits of Tourists taxi (motor cabs other than three wheelers and station wagon type vehicles of either State may be countersigned without any restriction of number, for any area in the reciprocating State on the single point tax basis.

7. Contract Carriage (Temporary Permits):-

Subject to the provision of clause 4 above contract carriage motor cabs temporary permits may be issued as per need by a Transport Authority of one State for a specific route connecting the specified terminals in

the reciprocating State without the requirement of countersignature by the Transport Authority of the reciprocating State. The validity of such temporary permits shall not exceed a period of fifteen days. Motor Vehicle Tax on such temporary permit shall be subject to the condition that the vehicle shall be hired by a single party and shall be valid for one return trip only. However, if for some reason the validity of the permit issued by one State expires in the territory of other State, a fresh temporary permit shall be obtained from the Transport Authority within whose jurisdiction the vehicle happens to be all the time after the payment of necessary fees and taxes.

(a) Such temporary permits shall be subject to the following conditions-

(i) Such temporary permit shall be valid for a period of not exceeding fifteen days in the reciprocating State.

(ii) Passengers in excess of the seating capacity specified in the registration certificate shall not be carried and no standing passengers shall be allowed.

(iii) the contract carriage shall be hired by a single party and shall be used for a single return journey.

(b) Such temporary permits shall clearly specify the date of the out ward and the date of return journey in case a certain party engaging a contract carriage on a temporary permit wishes a change the date of the return journey subsequent to the grant of the permit in shall obtain permission in writing to the effect from the Transport Authority within whose jurisdiction the contract carriage happens to be at the time.

(c) Such temporary permits shall be issued on the double point tax basis.

8. Special Permits :-

There shall be no restriction on the number of special permits to be issued under Section 88 (8) of the Motor Vehicles Act, 1988 by the Transport Authority of either State. Such permits shall be valid for a period not exceeding thirty days in the reciprocating State and shall be issued on double point Tax basis.

9. Stage Carriage :-

The following general principles are agreed to :-

(a) Reciprocal arrangement in regard to the operation of stage carriage on single point tax basis on Inter State Routs between Chhattisgarh

and Uttar Pradesh shall be according to the details contained in Appendix "A"

(b) Such routes specified in the Appendix, the portion of which is notified in Uttar Pradesh shall be operated by the U.P.S.R.T.C. but where the U.P.S.R.T.C. shall not operate the services as per specified details of the Appendix, on such routes private operator other than Transport Corporation may be permitted to ply, un-notified routes private operators will be permitted to operate on behalf of Utter Pradesh the nominee by the Chhattisgarh State shall be permitted on specified routes.

(c) Stage Carriage which are plying on behalf of Chhattisgarh State shall be painted according to the color scheme fixed by the State Transport Authority Chhattisgarh.

(d) The number of trips allocated for each State on each inter-state route shall be fixed as for as possible according to the mileage/Kms falling in each state. A trip for the purpose of this agreement will mean one single trips. The route mentioned in Appendix, shall always mean the shortest direct route connecting the two terminals lying in the two States throug via mentioned and any discrepancy discovered later in the mileages/Kms shown in the said Appendix shall promptly be corrected through correspondence between Transport Authorities of the two States and shall not be treated as modification of the agreement.

(e) The initial time shall be fixed by the permit granting Authority on a purely provisional basis to be valid for a maximum period of four months and shall be countersigned as such, to enable immediate operation of the service. During this period the countersigning authority shall in consultation with the permit granting Authority finalize the time-table. While fixing the timings, the state-carriage of the Home States shall be given preference of starting ahead of the bus belonging to the reciprocating State and there shall be sufficient gap in the timings of long distance inter-state service on the route.

(f) The operating point of the buses of both the States shall be same i.e. The operation of the buses of Utter Pradesh shall be from the bus stand of the Chhattisgarh State and the operations of the buses of Chhattisgarh State shall be from the bus stand of U.P.S.R.T.C.

(g) The maximum fare and freight chargeable shall be as prescribed by the respective State Government for the operations of the routes lying within the territory of such State. The form of tickets issued in one State shall be deemed to be valid in the other State.

(h) In respect of routes operated fleet owners, no restrictions for picking up are setting down of passengers on portions of such routes shall be imposed by the countersigning authorities In other cases, such restrictions may be imposed, if considered necessary, by the countersigning authority.

(i) The application for countersignature shall be submitted within fifteen days from the date of issue of substantive permits or temporary permits.

(j) Every countersigning States shall assist the recovery of taxes and arrears of other State in all possible manner.

10. General :-

(i) The reciprocating States shall accord recognition to tax tokens, registration certificate, conductor's license, Transport Vehicles authorization Badge, certificate of fitness etc, in respect of the Vehicle plying in accordance with the terms of this agreement.

(ii) The gross load of the vehicle shall not exceed the maximum permissible Gross vehicle weight in the respective State and a condition in this respect can be imposed while countersigning the permits.

In witness whereof the parties herein to have signed this agreement on 27-09-2005 first above written.

Sd/-
(Y. K. S. Thakur)
Special Secretary,
Transport Department
for and on behalf of
Governor of Chhattisgarh

Sd/-
(Ganjender Pal)
Special Secretary,
Transport Department
for and on behalf of
Governor of Uttar Pradesh

WITNESS

Sd/-
(B. L. Dhruw)
Asstt. Secretary, Cum-A.T.C.
State Transport Authority
Chhattisgarh

WITNESS

Sd/-
(J. A. Siddiqui)
Secretary,
State Transport Authority
Uttar Pradesh

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
Y. K. S. THAKUR, Special Secretary.

APPENDIX

INTRER STATE ROUTES ALLOTTED BETWEEN UTTER-PRADESH & CHHATTISHGARH STATE

S. No.	Name of Routes	Distance in Kms		Total Distance	No of Trips Agreed open		No of Permits fixed for		Total Kms by	
		U.P.	C.G.		U.P.	C.G.	U.P.	C.G.	U.P. Operatators in C.G.	C.G. Operatators in U.P.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ambikapur to Rihandum via Mayorpur	64	103	167	08	08	04	04	824	512
2	Wardroufhnagar to Renukut	69	17	86	08	02	04	01	136	138
3	Korba to varanasi vai Katgohara, Ambikapur, Pratappur, Dhanwar	213	291	504	02	02	02	02	582	426
4	Ambikapur to varanasi vai Pratappur, Renukut, Rovertganj, Anroura	213	113	326	02	02	02	02	226	426
5	Ambikapur to Allahabad vai Manendragarh, Shahdol, Rewa	48	CG 141 MP 371	560	02	04	02	04	282	192
6	Bilaspur to Allahabad vai Acharakmarg, Shahdol, Rewa	48	CG 119 MP 243	410	02	02	02	02	238	96
7	Raipur to Allahabad vai Bilaspur; Acharakmarg, Shahdol, Rewa	48	CG 241 MP 234	523	02	02	02	02	482	96
8	Ambikapur to Bijpur vai Pratappur, Wardroufh- nagar, Bhavni	56	111	167	04	08	02	04	444	448
9	Ambikapur to Shakti- nagar vai Pratappur, Wardroufhnagar, Bhavri Renukut	84	111	195	04	08	04	08	444	672

10	Balko to Shakti-nagar vai Korba, Katghora, Ambikapur, Pratappur, Wardroufhnagar, Bhavni Renukut	84	311	395	04	08	04	08	1244	672
11	Ambikapur to Shakti- nagar vai Pratappur, Wardroufh-nagar, Balangi, Bedhan Bindhanagar	15	160	175	04	08	04	08	640	96
12	Bilaspur to Shaktinagar vai Katghora Ambikapur Pratappur, Wardroufh-nagar,Bhavni,Renukut	84	341	425	04	08	04	08	1364	672
13	Jashpur to varanasi vai Ambikapur	213	308	521	02	02	02	02	616	426
14	Raigarh to varanasi vai Ambikapur	213	308	521	02	02	02	02	616	426
	Total Kms -								8138	5298

परिवहन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 8 फरवरी 2005

क्रमांक एफ 5-1/दो/आठ-परि/2005.—छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम 1994 के नियम 204 सहपठित मोटरयान नियम, 1988 (क्र. 59 सन् 1988) की धारा 117 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए नगर निगम रायपुर की सहमति से क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी एतद्द्वारा खसरा नंबर 138 की 2.738 हेक्टेयर, खसरा 139 की 0.036 हेक्टेयर तथा खसरा नंबर 141 की 0.142 हेक्टेयर की समाविष्ट भूमि रायपुर नगर स्थित जिला रायपुर (1) उत्तर में रेल्वे लाईन (2) दक्षिण में नहर (3) पूर्व में रायपुर बलौदाबाजार मार्ग (4) पश्चिम में नया आफिसर्स कालोनी से घिरे, को मोटरयान नियम 1988 की धारा 117 में विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए लोक सेवा यानों के रूकने के प्रयोजन हेतु रायपुर में बस स्थानक के रूप में विनिर्दिष्ट करती है. क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी, आयुक्त नगर निगम रायपुर को उक्त बस स्थानक के रखरखाव, उसके आवश्यक निर्माण कार्य करने तथा छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम, 1994 के नियम 204 में यथा अनुबंधित उपबंध के अधीन लोक सेवा यानों के स्वामियों/संचालकों से आवश्यक शुल्क वसूल करने के लिए प्राधिकृत करती है.

Raipur, the 8th February 2005

No. F 5-1/Two/Eight-Trans./2005.—In exercise of the powers conferred by rule 204 of the Chhattisgarh Motor Vehicle Rules, 1994, read with section 117 of the Motor Vehicle Act, 1988 (No. 59 of 1988) in consultation with Municipal Corporation Raipur, the Regional Transport Authority hereby declare the land comprising of 2.738 Hectare of Survey Number 138, 0.039 Hectare of Survey Number 139 and the 0.142 Hectare of Survey Number 141 situated at City Raipur, Disctrict Raipur surrounded by (1) Railway line in North (2) Canal in South (3) East in Raipur, Balodabazar (4) New Officers Colony in west as specified bus stand at for the purpose of standing the Public Service Vehicle for the period specified in section 117 of the Motor Vehicle Act 1988, Regional Transport Authority also authorize Commissioner, Municipal Corporation Raipur to maintain the said bus stand, building of works necessary there to and realize necessary fees from owners/operators of the Public Service Vehicle as provided under the provision of Rule 204 the Chhattisgarh Motor Vehicle Rule, 1994.

रायपुर, दिनांक 4 सितम्बर 2005

क्रमांक एफ 5-1/दो/आठ-परि/2005.—छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम 1994 के नियम 204 सहपठित मोटरयान नियम, 1988 (क्र. 59 सन् 1988) की धारा 117 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए नगर निगम कोरबा की सहमति से क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार एतद्द्वारा खसरा नंबर 188/1 की 6.80 एकड़ की समाविष्ट भूमि कोरबा नगर स्थित जिला कोरबा (1) उत्तर में पावरहाउस रोड की ओर जाने वाला मार्ग (2) दक्षिण में कोरबा रोड मुंख्य मार्ग (3) पूर्व में ईन्लाजाईन 182 (4) पश्चिम डब्लयू.सी.एल. की ओर जाने वाला मार्ग, को मोटरयान नियम 1988 की धारा 117 में विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए लोक सेवा यानों के रूकने के प्रयोजन हेतु कोरबा में बस स्थानक के रूप में विनिर्दिष्ट करती है. क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार आयुक्त नगर निगम कोरबा को उक्त बस स्थानक के रखरखाव, उसके आवश्यक निर्माण कार्य करने तथा छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम, 1994 के नियम 204 में यथा अनुबंधित उपबंध के अधीन लोक सेवा यानों के स्वामियों/संचालकों से आवश्यक शुल्क वसूल करने के लिए प्राधिकृत करती है.

Raipur, the 4th September 2005

No. F 5-1/Two/Eight-Trans./2005.—In exercise of the powers conferred by rule 204 of the Chhattisgarh Motor Vehicle Rules, 1994, read with section 117 of the Motor Vehicle Act, 1988 (No. 59 of 1988) in consultation with Municipal Corporation Korba, the Regional Transport Authority hereby declare the land comprising of 6.80 Hectare of Survey Number 188/1 situated at City Korba, District Korba surrounded by (1) Way to go towards power house road in North (2) Main Road towards Korba Road in South (3) East in Inlajoin-182 (4) Road towards W. C. L. in west as specified bus stand at for the purpose of standing the Public Service Vehicle for the period specified in section 117 of the Motor Vehicle Act 1988, Regional Transport Authority also authorize Commissioner, Municipal Corporation Korba to maintain the said bus stand, building of works necessary thereto and realize necessary fees from owners/operators of the Public Service Vehicle as provided under the provision of Rule 204 the Chhattisgarh Motor Vehicle Rule, 1994.

रायपुर, दिनांक 14 सितम्बर 2005

क्रमांक एफ 5-1/दो/आठ-परि/2005.—छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम 1994 के नियम 204 सहपठित मोटरयान नियम, 1988 (क्र. 59 सन् 1988) की धारा 117 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए नगर निगम राजनांदगांव की सहमति से क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार एतद्द्वारा खसरा नंबर 38/2 की 1.04 एकड़ की समाविष्ट भूमि राजनांदगांव नगर स्थित जिला राजनांदगांव (1) उत्तर में बाउन्ड्री जेल (2) दक्षिण में जी. ई. रोड (3) पूर्व में बी.एन.सी. मिल (4) पश्चिम में बल्देवबाग रास्ता से घिरे, को मोटरयान नियम 1988 की धारा 117 में विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए लोक सेवा यानों के रूकने के प्रयोजन हेतु राजनांदगांव में बस स्थानक के रूप में विनिर्दिष्ट करती है. क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, आयुक्त नगर निगम राजनांदगांव को उक्त बस स्थानक के रखरखाव, उसके आवश्यक निर्माण कार्य करने तथा छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम, 1994 के नियम 204 में यथा अनुबंधित उपबंध के अधीन लोक सेवा यानों के स्वामियों/संचालकों से आवश्यक शुल्क वसूल करने के लिए प्राधिकृत करती है.

Raipur, the 4th September 2005

No. F 5-1/Two/Eight-Trans./2005.—In exercise of the powers conferred by rule 204 of the Chhattisgarh Motor Vehicle Rules, 1994, read with section 117 of the Motor Vehicle Act, 1988 (No. 59 of 1988) in consultation with Municipal Corporation Rajnandgaon, the Regional Transport Authority hereby declare the land comprising of 1.04 Hectare of Survey Number 38/2 situated at City Rajnandgaon, District Rajnandgaon surrounded by (1) Jail Boundry in North (2) G.E. Road in South (3) East in B. N. C. Mill (4) Baldev Bagh Way in West as specified bus stand at for the purpose of standing the Public Service Vehicle for the period specified in section 117 of the Motor Vehicle Act 1988, Regional Transport Authority also authorize Commissioner, Municipal Corporation Rajnandgaon to maintain the said bus stand, building of works necessary thereto and realize necessary fees from owners/operators of the Public Service Vehicle as provided under the provision of rule 204 the Chhattisgarh Motor Vehicle Rule, 1994.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल टुटेजा, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार.

रायपुर, दिनांक 17 मार्च 2006

क्रमांक एफ 5-1/दो/आठ-परि/2005.—छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम 1994 के नियम 204 सहपठित मोटरयान अधिनियम, 1988 (क्र. 59 सन् 1988) की धारा 117 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए नगर निगम रायपुर की सहमति से क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार एतद्द्वारा खसरा नंबर 217 की 1.469 हेक्टेयर की समाविष्ट भूमि जो रायपुर नगर स्थित जिला रायपुर (1) मुंबई-हावड़ा रेल्वे लाईन (2) दक्षिण में जी. ई. रोड (3) पूर्व में खसरा नंबर 89 (4) पश्चिम में कोटा पहुंच मार्ग से घिरा है, को मोटरयान नियम 1988 की धारा 117 में विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए लोक सेवा यानों के रूकने के प्रयोजन हेतु रायपुर में बस स्थानक के रूप में विनिर्दिष्ट करती है. क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, आयुक्त नगर निगम रायपुर को उक्त बस स्थानक के रखरखाव, उसके आवश्यक निर्माण कार्य करने तथा छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम, 1994 के नियम 204 में यथा अनुबंधित उपबंध के अधीन लोक सेवा यानों के स्वामियों/संचालकों से आवश्यक शुल्क वसूल करने के लिए भी प्राधिकृत करता है.

Raipur, the 17th March 2006

No. F 5-1/Two/Eight-Trans./2005.—In exercise of the powers conferred by rule 204 of the Chhattisgarh Motor Vehicle Rules, 1994, read with section 117 of the Motor Vehicle Act, 1988 (No. 59 of 1988) in consultation with Municipal Corporation Raipur, the Regional Transport Authority hereby declare the land comprising of 1.469 Hectare of Survey Number 217 situated of City Raipur, District Raipur surrounded by (1) Mumbai-Hawarha Railway line in North (2) G.E. Road in South (3) Khasara No. 89 in East (4) Village Kota way in West as specified bus stand at for the purpose of standing the Public Service Vehicle for the period specified in section 117 of the Motor Vehicle Act 1988, Regional Transport Authority also authorize Commissioner, Municipal Corporation Raipur to maintain the said bus stand, building of works necessary thereto and realize necessary fees from owners/operators of the Public Service Vehicle as provided under the provision of Rule 204 the Chhattisgarh Motor Vehicle Rule, 1994.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. जैन, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार.

खनिज साधन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 19 अप्रैल 2006

क्रमांक/एफ 2-17/02/एम.—जिला रायपुर एवं महासमुन्द के अंतर्गत हीरा एवं अन्य सहयोगी खनिजों के अन्वेषण हेतु 2000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के लिये मेसर्स डी बियर्स इंडिया प्रा. लिमिटेड के पक्ष में दिनांक 23-9-2002 को स्वीकृत रिकानेसन्स परमिट के अनुबंध का निष्पादन दिनांक 20-12-2002 को हुआ था.

2. कम्पनी ने अनुबंध निष्पादन की तिथि से 2 वर्ष पश्चात् एम. सी. आर. 1960 के नियम 7 (1) (i) (क) के तहत स्वीकृत क्षेत्र में से अनुसूची-एक में उल्लिखित 1517 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का त्याग (Relinquish) किया है.

अनुसूची-एक

(टोपोशीट क्र. 64 K एवं O के भाग)

स.क्र.	बिन्दु	देशांश	अक्षांश	स.क्र.	बिन्दु	देशांश	अक्षांश
1.	A1	82° 20' 01"	21° 36' 26"	8.	Z	82° 45' 54"	21° 12' 32"
2.	B1	82° 35' 58"	21° 41' 50"	9.	L	82° 51' 47"	21° 12' 32"
3.	X	82° 50' 00"	21° 27' 08"	10.	K	82° 51' 47"	21° 13' 52"
4.	E	82° 42' 35"	21° 27' 08"	11.	Z1	83° 01' 00"	21° 13' 52"
5.	Y	82° 42' 35"	21° 20' 57"	12.	C1	83° 07' 26"	21° 06' 27"
6.	O	82° 43' 10"	21° 20' 02"	13.	D1	82° 43' 26"	21° 09' 54"
7.	N	82° 45' 56"	21° 20' 02"	14.	A1	82° 20' 01"	21° 36' 26"

C1 से D1 तक छत्तीसगढ़-उड़ीसा की सीमा के साथ

3. अनुसूची- एक में उल्लिखित क्षेत्र को खनिज रियायत नियम 1960 के नियम 59 (1) (ii) के अन्तर्गत खुला घोषित किया जाता है.

4. उक्त क्षेत्र छत्तीसगढ़ राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित होने के 30 दिवस पश्चात् खनि-रियायतों के पुनः अनुदान हेतु उपलब्ध होगा.

रायपुर, दिनांक 19 अप्रैल 2006

क्रमांक/एफ 2-18/02/एम.—जिला राजनांदगांव के अंतर्गत गोल्ड, जिंक, कॉपर के अन्वेषण हेतु 500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के लिये मेसर्स ज्यो मैसूर सर्विस प्रा. लि. के पक्ष में दिनांक 23-9-2002 को स्वीकृत रिकॉनेसन्स परमिट के अनुबंध का निष्पादन दिनांक 27-11-2002 को हुआ.

2. कम्पनी ने अनुबंध निष्पादन की तिथि से 2 वर्ष पश्चात् एम. सी. आर. 1960 के नियम 7 (1) (i) (क) के तहत स्वीकृत क्षेत्र में से अनुसूची-एक में उल्लिखित देशांश-अक्षांश के मध्य 250 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का त्याग (Relinquish) किया है.

अनुसूची-एक

(टोपोशीट क्र. 64 D का भाग)

स.क्र.	बिन्दु	देशांश	अक्षांश	स.क्र.	बिन्दु	देशांश	अक्षांश
1.	A	80° 41' 14.09"	20° 29' 43.85"	10.	J	80° 46' 34.61"	20° 24' 2.67"
2.	B	80° 52' 5.05"	20° 29' 43.89"	11.	K	80° 46' 34.24"	20° 28' 15.94"
3.	C	80° 52' 5.31"	20° 24' 40.09"	12.	L	80° 44' 41.21"	20° 28' 15.88"
4.	D	80° 50' 7.98"	20° 24' 39.99"	13.	M	80° 44' 41.57"	20° 24' 32.83"
5.	E	80° 50' 7.75"	20° 28' 16.05"	14.	N	80° 44' 11.39"	20° 23' 2.29"
6.	F	80° 48' 23.06"	20° 28' 15.94"	15.	O	80° 44' 20.07"	20° 21' 51.35"
7.	G	80° 48' 23.22"	20° 26' 12.44"	16.	P	80° 43' 34.29"	20° 18' 33.72"
8.	H	80° 47' 54.01"	20° 26' 12.41"	17.	Q	80° 43' 50.56"	20° 15' 37.33"
9.	I	80° 47' 54.18"	20° 24' 2.77"	18.	R	80° 41' 18.67"	20° 11' 31.36"

Q से R तक राजनांदगांव एवं कांकेर जिलों की सीमा के साथ

3. अनुसूची- एक में उल्लिखित क्षेत्र को खनिज रियायत नियम 1960 के नियम 59 (1) (ii) के अन्तर्गत खुला घोषित किया जाता है.

4. उक्त क्षेत्र छत्तीसगढ़ राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित होने के 30 दिवस पश्चात् खनि-रियायतों के पुनः अनुदान हेतु उपलब्ध होगा.

रायपुर, दिनांक 19 अप्रैल 2006

क्रमांक/एफ 2-22/02/एम.—जिला कांकेर के अन्तर्गत खनिज गोल्ड, कॉपर, जिंक के अन्वेषण हेतु 1220 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के लिये मेसर्स ज्यो मैसूर सर्विस प्रा. लि. के पक्ष में दिनांक 23-9-2002 को स्वीकृत रिकॉनेसन्स परमिट के अनुबंध का निष्पादन दिनांक 17-11-2002 को हुआ था.

2. कम्पनी ने अनुबंध निष्पादन की तिथि से 2 वर्ष पश्चात् एम. सी. आर. 1960 के नियम 7 (1) (i) (क) के तहत स्वीकृत क्षेत्र में से अनुसूची-एक में उल्लिखित 610 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का त्याग (Relinquish) किया है.

अनुसूची-एक

(टोपोशीट क्र. 64 D तथा 65 A के भाग)

ब्लाक-1

स.क्र.	बिन्दु	देशांश	अक्षांश	स.क्र.	बिन्दु	देशांश	अक्षांश
1.	A	80° 40' 41.64"	20° 12' 30.46"	14.	N	80° 54' 15.33"	20° 17' 20.40"
2.	B	80° 44' 52.03"	20° 16' 23.68"	15.	O	80° 55' 00.46"	20° 17' 20.44"
3.	C	80° 44' 51.68"	20° 11' 23.06"	16.	P	80° 55' 00.37"	20° 19' 59.05"
4.	D	80° 43' 53.06"	20° 11' 22.99"	17.	Q	80° 55' 43.57"	20° 19' 59.07"
5.	E	80° 43' 54.13"	20° 00' 54.86"	18.	R	80° 55' 43.52"	20° 21' 49.53"
6.	F	80° 44' 41.68"	20° 00' 54.93"	19.	S	80° 55' 14.80"	20° 21' 49.53"
7.	G	80° 44' 41.90"	19° 58' 40.91"	20.	T	80° 55' 14.69"	20° 25' 07.30"
8.	H	80° 52' 21.54"	19° 58' 41.40"	21.	U	80° 55' 43.43"	20° 25' 07.32"
9.	I	80° 52' 21.48"	19° 59' 54.29"	22.	V	80° 55' 43.42"	20° 25' 43.86"
10.	J	80° 53' 32.74"	19° 59' 54.34"	23.	W	80° 57' 07.75"	20° 25' 43.89"
11.	K	80° 53' 38.01"	20° 03' 04.30"	24.	X	80° 57' 07.75"	19° 55' 57.26"
12.	L	80° 54' 38.67"	20° 11' 33.38"	25.	Y	80° 40' 41.63"	19° 55' 57.82"
13.	M	80° 54' 15.90"	20° 12' 42.52"	A से B तक कांकेर-राजनांदगांव जिले के साथ			

ब्लाक-2

स.क्र.	बिन्दु	देशांश	अक्षांश	स.क्र.	बिन्दु	देशांश	अक्षांश
1.	A1	80° 46' 25.21"	20° 17' 33.73"	6.	F1	80° 47' 03.45"	20° 12' 21.08"
2.	B1	80° 51' 55.05"	20° 23' 06.31"	7.	G1	80° 47' 03.22"	20° 15' 57.04"
3.	C1	80° 51' 55.20"	20° 20' 12.56"	8.	H1	80° 46' 45.92"	20° 15' 57.02"
4.	D1	80° 50' 29.88"	20° 20' 12.48"	9.	I1	80° 46' 45.84"	20° 16' 54.66"
5.	E1	80° 50' 32.14"	20° 12' 21.30"	10.	J1	80° 46' 25.27"	20° 16' 54.83"

A1 से B1 तक कांकेर-राजनांदगांव जिले के साथ

3. अनुसूची- एक में उल्लिखित क्षेत्र को खनिज रियायत नियम 1960 के नियम 59 (1) (ii) के अन्तर्गत खुला घोषित किया जाता है.

4. उक्त क्षेत्र छत्तीसगढ़ राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित होने के 30 दिवस पश्चात् खनि-रियायतों के पुन: अनुदान हेतु उपलब्ध होगा.

रायपुर, दिनांक 19 अप्रैल 2006

क्रमांक/एफ 2-27/02/एम.—जिला जशपुर के अंतर्गत गोल्ड, कॉपर, लेड, जिंक, सिल्वर, निकल, डायमण्ड, पीजीई एवं सहयोगी खनिजों के अन्वेषण हेतु 1475 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के लिये मेसर्स ज्यो मैसूर सर्विसेस प्रा. लिमिटेड के पक्ष में दिनांक 23-10-2002 को स्वीकृत रिकॉनेसन्स परमिट के अनुबंध का निष्पादन दिनांक 27 नवंबर 2002 को हुआ था.

2. कम्पनी ने अनुबंध निष्पादन की तिथि से 2 वर्ष पश्चात् एम. सी. आर. 1960 के नियम 7 (1) (i) (क) के तहत स्वीकृत क्षेत्र में से अनुसूची-एक में उल्लिखित अक्षांश-देशांश के मध्य दो ब्लाक में कुल 737.5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का त्याग (Relinquish) किया है.

अनुसूची-एक
(टोपोशीट क्र. 64 N के भाग)

ब्लाक-1

स.क्र.	बिन्दु	देशांश	अक्षांश	स.क्र.	बिन्दु	देशांश	अक्षांश
1.	A	83° 36' 13.05"	22° 37' 11.43"	17.	Q	83° 57' 18.32"	22° 24' 19.72"
2.	B	83° 40' 35.90"	22° 37' 7.10"	18.	R	83° 58' 8.46"	22° 29' 47.7"
3.	C	83° 40' 36.69"	22° 37' 48.05"	19.	S	83° 58' 11.94"	22° 29' 46.91"
4.	D	83° 41' 39.71"	22° 37' 46.99"	20.	T	83° 59' 59.58"	22° 22' 14.53"
5.	E	83° 41' 26.83"	22° 30' 31.24"	21.	U	83° 59' 59.61"	22° 21' 27.01"
6.	F	83° 43' 21.44"	22° 30' 27.65"	22.	V	83° 54' 57.43"	22° 21' 20.51"
7.	G	83° 44' 7.49"	22° 30' 10.13"	23.	W	83° 45' 20.84"	22° 17' 24.85"
8.	H	83° 43' 56.38"	22° 27' 17.26"	24.	X	83° 45' 18.61"	22° 17' 35.96"
9.	I	83° 37' 29.20"	22° 27' 18.79"	25.	Y	83° 31' 47.63"	22° 21' 23.14"
10.	J	83° 37' 39.97"	22° 23' 1.82"	26.	Z	83° 31' 47.27"	22° 21' 23.21"
11.	K	83° 45' 40.10"	22° 22' 53.82"	27.	A1	83° 35' 09.74"	22° 29' 3.30"
12.	L	83° 45' 41.27"	22° 23' 53.07"	28.	B1	83° 34' 57.29"	22° 29' 6.44"
13.	M	83° 55' 4.06"	22° 23' 43.18"	29.	C1	83° 31' 39.07"	22° 32' 59.74"
14.	N	83° 55' 4.92"	22° 24' 23.07"	30.	D1	83° 31' 43.31"	22° 32' 54.42"
15.	O	83° 56' 32.43"	22° 24' 21.48"	31.	E1	83° 36' 9.52"	22° 37' 11.43"
16.	P	83° 56' 34.12"	22° 25' 41.17"	32.	U से V तक राज्य की सीमा के साथ		

ब्लाक-2

स.क्र.	बिन्दु	देशांश	अक्षांश	स.क्र.	बिन्दु	देशांश	अक्षांश
1.	F1	83° 56' 45.57"	22° 39' 16.46"	3.	H1	83° 59' 59.59"	22° 31' 53.37"
2.	G1	83° 59' 59.63"	22° 39' 16.9"	4.	I1	83° 56' 42.39"	22° 31' 54.67"

3. अनुसूची- एक में उल्लिखित अक्षांश-देशांश के मध्य के क्षेत्र को खनिज रियायत नियम 1960 के नियम 59 (1) (ii) के अन्तर्गत खुला घोषित किया जाता है.

4. उक्त क्षेत्र छत्तीसगढ़ राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित होने के 30 दिवस पश्चात् खनि-रियायतों के पुन: अनुदान हेतु उपलब्ध होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. आर्य, अवर सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 27 मार्च 2006

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 14/अ-82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	खरसिया	कलमीपाठ प.ह.नं. 9	0.222	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग, बिलासपुर.	तुरेकेला-बगडेवा-कलमीपाठ मार्ग के कि.मी. 4/8 पर सपनई सेतु पहुंच मार्ग हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. राजू, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला महासमुन्द, छत्तीसगढ़ एवं पदेन विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

महासमुन्द, दिनांक 11 मई 2006

क्रमांक 64/अ.वि.अ./भू-अर्जन/4-अ/82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुन्द	महासमुन्द	धनगांव प.ह.नं. 6	0.24	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, महासमुंद (छ. ग.)	कछारडीह जलाशय के नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, महासमुन्द के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुन्द, दिनांक 11 मई 2006

क्रमांक 63/अ.वि.अ./भू-अर्जन/5-अ/82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुन्द	महासमुन्द	मेमरा प.ह.नं. 31	19.82	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, महासमुंद (छ. ग.)	मेमरा जलाशय के डुबान निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, महासमुन्द के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. तिवारी, कलेक्टर एवं पदेन विशेष सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 6 अप्रैल 2006

रा. प्र. क्र. 28/अ-82/2002-03.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मुंगेली	पीड़ा	0.182	कार्यपालन अभियंता, मनियारी जल संसाधन संभाग, मुंगेली.	पथरिया व्यपवर्तन योजना

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मुंगेली के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विकासशील, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 19 अप्रैल 2006

क्रमांक 367/ले. पा./भू-अर्जन/2006.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	बेरला	बेलोदीकला	0.16	कार्यपालन अभियंता, तांदुला जल संसाधन संभाग, दुर्ग.	बारगांव नाला डायवर्सन के अंतर्गत भूमि अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, साजा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जवाहर श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 6 मई 2006

भू-अर्जन प्र. क्र. 14/अ-82/04-05.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-घरघोड़ा
- (ग) नगर/ग्राम-बहिरकेला
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.276 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
671/1	0.092
671/2	0.092
671/3	0.092
योग 3	0.276

(2) सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यकता है- घरघोड़ा-बहिरकेला पहुंच मार्ग पर कुरकुट सेतु निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), घरघोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 6 मई 2006

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 15/अ-82/04-05.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-घरघोड़ा
- (ग) नगर/ग्राम-कंचनपुर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.648 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	16	0.648
योग		0.648

(2) सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यकता है- कुरकुट सेतु पहुंचमार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), घरघोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 6 मई 2006

भू-अर्जन प्र. क्र. 16/अ-82/04-05.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-घरघोड़ा
- (ग) नगर/ग्राम-बुडिया
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.172 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	129/1 च	0.172
योग		0.172

(2) सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यकता है- तमनार धौराभांठा मार्ग के केलो सेतु निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), घरघोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 6 मई 2006

भू-अर्जन प्र. क्र. 17/अ-82/04-05.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-घरघोड़ा
- (ग) नगर/ग्राम-तमनार
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.214 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	606	0.061
	607	0.121
	608	0.032
योग	3	0.214

(2) सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यकता है- तमनार धौराभांठा पहुंच मार्ग केलो सेतु निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), घरघोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 6 मई 2006

भू-अर्जन प्र. क्र. 18/अ-82/04-05.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-घरघोड़ा
- (ग) नगर/ग्राम-नारायणपुर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.304 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	565	0.263
	566	0.041
योग	2	0.304

(2) सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यकता है- विरसिंघा, कमरगा, तरेलमा मार्ग पर पेतु पहुंच मार्ग हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), घरघोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. राजू, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 19 अप्रैल 2006

क्रमांक/368/प्र.-1/06.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-बेरला
- (ग) नगर/ग्राम-देवादा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.53 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	1850	0.08
	1856/1	0.36
	1856/2	0.38
	1857	0.43
	1881/1	0.32
	1881/2	0.28
	1883/1	0.34
	1883/4	0.34
योग	8	2.53

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- अकोली व्यपवर्तन योजना अन्तर्गत भूमि अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, साजा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जवाहर श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 6 मई 2006

क्रमांक/अ.वि.अ./भू-अर्जन/प्र. क्र./04/अ/82, वर्ष 2005-06.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-अभनपुर
- (ग) नगर/ग्राम-धुसेरा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.242 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
	600	0.028
	601/3	0.024
	601/1	0.068
	601/2	0.073
	602/2	0.049
योग	5	0.242

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- माना भटगांव, देवारभाठा मार्ग के कि. मी. 2/4 पर देवारभाठा, नाला सेतु के पहुंच मार्ग में आ रही पुल निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण-भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुबोध कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 5 अप्रैल 2006

रा. प्र. क्र. 2 अ 82-2004-2005.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित अधिनियम सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-मुंगेली
- (ग) नगर/ग्राम-चलान, प. ह. नं. 9
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.339 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
	245	0.190
	247/1	0.036
	240	0.113
योग	3	0.339

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मुंगेली के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 5 अप्रैल 2006

रा. प्र. क्र. 25 अ 82-2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित अधिनियम सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-बिलासपुर
(ख) तहसील-मुंगेली
(ग) नगर/ग्राम-रेहुंटा, प. ह. नं. 6
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.113 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
477/1	0.032
477/3	0.81
योग 2	0.113

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मुंगेली के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 16 मई 2006

रा. प्र. क्र. 3 अ 82-2004-2005.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित अधिनियम सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-बिलासपुर
(ख) तहसील-मुंगेली
(ग) नगर/ग्राम-किरना, प. ह. नं. 17
(घ) लगभग क्षेत्रफल-14.134 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
75/2	0.405
76	0.081
263	0.396
79/1	0.352
77/1	0.202
77/2	0.975
77/3	1.165
79/2	0.316
259/2	0.186
79/3	0.392
250	0.388
261	0.162
100/1	0.186
100/2	0.490
101/1, 4, 5	0.547
101/6	0.615
101/10	0.121
101/11	0.292
245	0.384
101/2	0.032
246	0.271
248	0.004
249	0.405
258	0.121
1/1	0.081
1/2	0.308
1/3	0.097
3/1	0.506
12/3	0.162
7	0.522
16/1	0.202
75/4	0.409
12/7	0.020
12/2	0.162
12/8	0.020
9/1	0.065
9/2	0.036
9/3	0.036
9/4	0.036
9/5	0.036
10	0.267
11	0.595
12/1	0.344
12/10	0.150

(1)	(2)
12/11	0.032
13	0.121
12/4	0.182
12/9	0.510
14	0.142
15/1	0.121
8/1	0.085
8/2	0.085
8/3	0.243
5	0.061
योग 54	14.134

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- टेसुवा व्यपवर्तन के एफलक्स बंड एवं डूबान क्षेत्र.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मुंगेली के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विकासशील, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) एवम् भू-अर्जन अधिकारी, बिलासपुर (छ. ग.)

बिलासपुर, दिनांक 16 मई 2006

क्रमांक-16/अ-82/05-06.—राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम हरदीविशाल, तहसील जांजगीर, जिला जांजगीर-चांपा से जल परिवहन हेतु ग्राम सीपत, तहसील मस्तुरी, जिला बिलासपुर तक मेसर्स एन. टी. पी. सी. लिमिटेड द्वारा भूमिगत पाइपलाईन बिछाई जानी चाहिए.

और, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइपलाईन बिछाने के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइपलाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग से अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भूमिगत पाइपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 7 सन् 2004) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती हैं.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि से हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के, इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइपलाईन बिछाये जाने के संबंध में, सक्षम प्राधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी, (सिविल) बिलासपुर, जिला बिलासपुर छत्तीसगढ़ को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/प.ह.न.	खसरा नंबर	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (एकड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
बिलासपुर	मस्तुरी	खांडा/35	1	0.40

संजय अग्रवाल,
अनुविभागीय अधिकारी.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ बिलासपुर

बिलासपुर, दिनांक 16 जनवरी 2004

क्रमांक 366/दो-3-19/2000.— उच्च न्यायालय द्वारा श्री संदीप बख्शी, विशेष न्यायाधीश (एस. सी./एस. टी. एक्ट), रायपुर को दिनांक 2-12-2003 से दिनांक 3-12-2003 तक दोनों दिन सम्मिलित करके 2 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री संदीप बख्शी को उसी पद पर पदस्थ किया जाता है, जिस पद पर वे उपरोक्तानुसार अवकाश पर जाने से पूर्व पदस्थ थे.

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री संदीप बख्शी उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो वे अपने पद पर कार्यरत रहते.

अवकाश स्वीकृति के पश्चात् इनके खाते में 240+13 दिवस का अर्जित अवकाश शेष है.

बिलासपुर, दिनांक 20 जनवरी 2004

क्रमांक 435/दो-2-22/2001.— उच्च न्यायालय द्वारा श्रीमती मैत्रेयी माथुर, विशेष न्यायाधीश, अ. जा. एवं अ. ज. जा. (अ. नि.) अधि., राजनांदगांव को आदेश क्रमांक 5032 दिनांक 20-11-2003 द्वारा स्वीकृत अर्जित अवकाश दिनांक 27-11-2003 से दिनांक 29-11-2003 को निरस्त करते हुए, दिनांक 24-11-2003 से 29-11-2003 तक दोनों दिन सम्मिलित करके 6 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 23-11-2003 एवं पश्चात् में दिनांक 30-11-2003 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती मैत्रेयी माथुर को उसी पद पर पदस्थ किया जाता है, जिस पद पर वे उपरोक्तानुसार अवकाश पर जाने से पूर्व पदस्थ थीं.

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती मैत्रेयी माथुर उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो वे अपने पद पर कार्यरत रहतीं.

अवकाश स्वीकृति के पश्चात् इनके खाते में 13 दिवस का अर्जित अवकाश शेष है.

बिलासपुर, दिनांक 20 जनवरी 2004

क्रमांक 437/दो-2-36/2002.— उच्च न्यायालय द्वारा श्री आर. एल. झंवर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बस्तर स्थान जगदलपुर को स्वीकृत ग्रीष्मकालीन अवकाश दिनांक 4-6-2003 से 13-6-2003 के तारतम्य में दिनांक 14-6-2003 से 25-6-2003 तक दोनों दिन सम्मिलित करके 12 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री आर. एल. झंवर को उसी पद पर पदस्थ किया जाता है, जिस पद पर वे उपरोक्तानुसार अवकाश पर जाने से पूर्व पदस्थ थे.

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. एल. झंवर उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो वे अपने पद पर कार्यरत रहते.

अवकाश स्वीकृति के पश्चात् इनके खाते में 78 दिवस का अर्जित अवकाश शेष है.

Bilaspur, the 25th February 2004

No. 47/Confdl./2004/II-3-2/2002.—In exercise of the powers conferred by Article 235 of the Constitution of India, the High Court of Chhattisgarh, hereby, treats the following Civil Judge Class-II to be confirmed in the Lower Judicial Service w. e. f. 01-11-2000, in whose favour a certificate of confirmation in terms of Rule 11 (d) of M. P. Lower Judicial Service (Recruitment and Conditions of Service) Rules 1994 was issued by the parent High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur vide High Court Registry Order No. 327/confdl./2000/II-3-70/60 (part-III) dated 24-08-2000 namely :—

TABLE

S. No. (1)	Name of Judicial Officer (2)	Date of appointment in L. J. S. (3)	Date of issue of certificate of confirmation (4)
1.	Smt. Kiran Chaturevedi	13-11-1997	24-08-2000
2.	Shri Kartik Ram	01-07-1998	24-08-2000
3.	Shri Gopal Krishna Neelam	30-06-1998	24-08-2000
4.	Smt. Dhaneshwari Sidar	19-11-1997	24-08-2000
5.	Shri Grogory Tirkey	29-04-1998	24-08-2000
6.	Shri Rohit Singh Tanwar	23-04-1998	24-08-2000
7.	Shri Hirendra Singh Tekam	22-12-1997	24-08-2000

By order of the High Court,
B. K. SHRIVASTAVA, Registrar General.

Bilaspur, the 7th January 2005

No. 6/Confdl./2005/II-2-2/2002.—The following Members of Higher Judicial Service holding Selection Grade Scale specified in Column No. 2 are hereby granted Super Time Scale of Rs. 18400-500-22400 (Revised Scale of Rs. 22850-500-24850) from the date mentioned in Column No. 3 of the table below :—

TABLE

S. No. (1)	Name of Judicial Officer with present designation (2)	Date of grant of Super Time Scale (3)
1.	Shri A. K. Nimonkar, District & Sessions Judge, Raigarh.	10-08-2001
2.	Smt. Shakuntala Das, District & Sessions Judge, Bastar at Jagdalpur.	21-01-2002
3.	Shri Tankeshwar Prasad Sharma, on deputation as Secretary, Government of Chhattisgarh, Law & Legislative Affairs Department, Raipur.	21-05-2004
4.	Shri Rangnath Chandrakar, District & Sessions Judge, Bilaspur.	21-05-2004
5.	Shri Rajeshwarlal Jhanwar, on deputation as Presiding Officer, State Transport Appellate Tribunal, Raipur.	12-09-2004

बिलासपुर, दिनांक 26 फरवरी 2005

क्रमांक 58/दो-2-42/2004.— श्री खेलन दास, विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी, (उच्च न्यायिक सेवा) उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर दिनांक 31-07-2004 की अपरान्ह में अधिवार्षिकी आयु पर सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप उनके अवकाश लेखा में सेवानिवृत्ति तिथि को शेष अर्जित अवकाश में से 240 (दो सौ चालीस) दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

Bilaspur, the 23rd March 2005

No. 203/Confdl./2005/II-15-66/2001 (Pt. II).—The following Judicial Officers as specified in Column No. 2 presently posted at the places specified in Column No. 3 of the table below are directed to report in the Judicial Officer's Training Institute (J. O. T. I.), High Court of Chhattisgarh, High Court Campus, Bilaspur on 01-04-2005 by 08.00 P.M. for attending a two day course on mediation and conciliation techniques to be held on 2nd and 3rd April 2005 and to receive further instructions from the Director, J. O. T. I. :—

TABLE

Sl. No. (1)	Name of Judicial Officer (2)	Posted as & at (3)
1.	Shri Inder Singh Uboweja	Member-Secretary, Chhattisgarh State Legal Services Authority, Bilaspur.

(1)	(2)	(3)
2.	Shri Dayaram Dayal	Under Secretary, Chhattisgarh State Legal Services authority, Bilaspur.
3.	Shri Angus Baruk Toppo	Civil Judge Class-I & J. M. F. C. Sukma
4.	Shri Ram Rai Bharadwaj	Civil Judge Class-I & J. M. F. C., Ramanujganj
5.	Shri Uma Shankar Mishra	I Addl. Judge to Civil Judge Class-I & J. M. F. C., Ambikapur.
6.	Shri Ashok Kumar Sahu	II Civil Judge Class-I & J. M. F. C., Kawardha
7.	Smt. Anita Dahariya	III Addl. Judge to I Civil Judge Class-I & J. M. F. C., Raipur.
8.	Smt. Suman Ekka	Addl. Judge to Civil Judge Class I & J. M. F. C. Bemetara.
9.	Shri Gokaran Singh Kunjam	Civil Judge Class-I & J. M. F. C., Gariaband
10.	Shri Phool Singh Penkra	Civil Judge Class-I & J. M. F. C., Katghora
11.	Shri K. Vinod Kujur	II Civil Judge Class-I & J. M. F. C., Dhamtari
12.	Shri Rajendra Pradhan	II Civil Judge Class-I & J. M. F. C., Jagdalpur
13.	Smt. Kanta Martin	Addl. Judge to I Civil Judge Class-I & J. M. F. C. Raigarh.
14.	Shri Anand Kumar Singhal	Addl. Judge to I Civil Judge Class-I, Raigarh & J. M. F. C. at Dharamjaigarh.
15.	Shri Ashok Kumar Lunia	II Civil Judge Class-I & J. M. F. C., Durg
16.	Shri Suresh Kumar Soni	Addl. Judge to I Civil Judge Class-I, Jagdalpur & J. M. F. C. at Kondagaon.
17.	Shri Onkar Prasad Gupta	Civil Judge Class-I & J. M. F. C., Baloda-Bazar
18.	Shri Bhishma Prasad Pandey	Addl. Judge to I Civil Judge Class-I, Jagdalpur & J. M. F. C. Bhanupratappur.
19.	Shri Arvind Kumar Sinha	Civil Judge Class-I & J. M. F. C., Pendraroad
20.	Shri Balindar Singh Saluja	II Civil Judge Class-I & Special Railway Magistrate, Bilaspur.
21.	Ku. Satyabhama Jaiswal	III Civil Judge Class-I & J. M. F. C., Mahasamund.
22.	Shri Hemant Kumar Agrawal	V Civil Judge Class-I & J. M. F. C., Bilaspur

(1)	(2)	(3)
23.	Shri Rajnish Shrivastava	II Addl. Judge to Civil Judge Class-I, & J. M. F. C., Ambikapur.
24.	Shri Anestus Toppo	Civil Judge Class-I & J. M. F. C., Manendragarh
25.	Shri Chandra Kumar Ajgalley	Addl. Judge to I Civil Judge Class-I, Raigarh & J. M. F. C. Gharghora.
26.	Smt. Neeta Yadav	V Civil Judge Class-I & J. M. F. C., Raipur
27.	Shri Ramjivan Dewangan	II Addl. Judge to I Civil Judge Class-I & J. M. F. C., Durg.
28.	Shri Manish Kumar Naidu	Civil Judge Class-I & J. M. F. C., Ambagarh Chowki.
29.	Shri Abdul Zahid Qureshi	III Civil Judge Class-I & J. M. F. C., Durg
30.	Shri Jantaram Banjara	II Addl. Judge to I Civil Judge Class-I & J. M. F. C., Raipur.
31.	Smt. Kiran Chaturvedi	Civil Judge Class-I & J. M. F. C., Mungeli
32.	Shri Kartik Ram	I Addl. Judge to I Civil Judge Class-I & J. M. F. C., Raipur.
33.	Shri Anand Ram Dhidhi	Addl. Judge to I Civil Judge Class-I, Raipur & J. M. F. C., Saraipali.

The abovementioned Judicial Officers are also directed to maintain the dress code during the said course.

Bilaspur, the 28th March 2005

No. 218/Confdl./2005/II-2-1/2005.—The High Court of Chhattisgarh, hereby, appoints the following Members of Higher Judicial Service mentioned in Column No. (2) as Officiating District & Sessions Judges of the Civil District mentioned in Column No. (3) until further orders in addition to thier present assignment and as soon as the regular District & Sessions Judges are appointed for the concerned Civil Districts, they shall revert to their original post :—

TABLE

S. No. (1)	Name of Judicial Officer (2)	Civil District (3)
1.	Shri Anujram Dhruva, II Additional District & Sessions Judge, Raigarh.	Raigarh

(1)	(2)	(3)
2.	Shri Surendra Tiwari, Special Judge under Scheduled Castes & Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, Jagdalpur.	Bastar
3.	Shri Arvind Kumar Shrivastava, Special Judge under Scheduled Castes & Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, Raipur.	Raipur
4.	Shri Buddharam Nikunj, Special Judge under Scheduled Castes & Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, Durg.	Durg

Bilaspur, the 29th March 2005

No. 223/Confdl./2005/II-15-66/2001 (Pt. II).—The following Judicial officers as specified in Column No. 2 presently posted at the places specified in Column No. 3 of the table below are directed to report in the Judicial Officer's Training Institute (J. O. T. I.), High Court of Chhattisgarh, High Court Campus, Bilaspur on 01-04-2005 by 08.00 P.M. for attending a two day course on mediation and conciliation techniques to be held on 02nd and 03rd April 2005 and to receive further instructions from the Director, J. O T. I. :—

TABLE

Sl. No. (1)	Name of Judicial Officer (2)	Posted as & at (3)
1.	Shri Raghubir Singh	Principal Judge, Family Court, Raipur
2.	Shri Gautam Chouradia	Additional District & Sessions Judge, Sakti

The abovementioned Judicial Officers are also directed to maintain the dress code during the said course.

Bilaspur, the 13th April 2005

No. 2143/I-7-3/2005.—The High Court of Chhattisgarh has been pleased to declare that the High Court, its Registry and the Subordinate Courts in the State of Chhattisgarh shall remain closed on 18th April, 2005 (Monday) on the eve of Ramnavami and instead 25th June, 2005 (Saturday) shall be the working day for the High Court, its Registry and the Subordinate Courts in the State.

Bilaspur, the 27th April 2005

No. 270/Confdl./2005/II-2-1/2005.—The following Members of Higher Judicial Service as specified in Column No. (2) are transferred from the place shown in Column No. (3) to the place shown in Column No. (4) and are posted in the capacity as mentioned in Column No. (6) from the date they assume charge of their office; and

The following Members of Higher Judicial Service, who have been posted as District Judge of Civil District concerned are appointed as Sessions Judges of the Sessions Division as mentioned in Column No. (5) and who have been posted as special Judge under SC & ST (Prevention of Atrocities) Act are appointed as Additional Sessions Judges for their respective Sessions Division as mentioned in Column No. (5) from the date they assume charge of their office :-

TABLE

S. No.	Name & present designation	From	To	Sessions Division	Posted as
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Shri Radheshyam Sharma, District & Sessions Judge.	Korba	Raipur	Raipur	District Judge of Civil District Raipur.
2.	Shri Sandeep Bakshi, District & Sessions Judge.	Kabirdham (Kawardha)	Durg	Durg	District Judge of Civil District Durg.
3.	Shri Chhabilal Patel, President, District Consumer Disputes Redressal Forum.	Ambikapur	Korba	Korba	District Judge of Civil District Korba.
4.	Shri Tapan Kumar Chakravarti, President, District Consumer Disputes Redressal Forum.	Raipur	Kabirdham (Kawardha)	Kabirdham (Kawardha)	District Judge of Civil District Kabir-Dham (Kawardha).
5.	Shri Chandra Bhushan Bajpai, Registrar, Chhattisgarh State Consumer Disputes Redressal Commission.	Raipur	Jagdalpur	Bastar	District Judge of Civil District Bastar.
6.	Shri Arvind Kumar Shrivastava, In-Charge District & Sessions Judge and Special Judge under SC & ST (P.A.) Act.	Raipur	Raigarh	Raigarh	District Judge of Civil District Raigarh.
7.	Smt. Maitrai Mathur, President, District Consumer Disputes Redressal Forum.	Bilaspur	Raipur	Raipur	Special Judge under SC & ST (Prevention of Atrocities) Act, Raipur.

Bilaspur, the 27th April 2005

No. 272/Confdl./2005/II-2-90/2001 (Pt.II).—Shri Rajeshwarlal Jhanwar, Member of Higher Judicial Service presently posted as Presiding Officer, State Transport Appellate Tribunal, Raipur is transferred and posted as Registrar (Vigilance), High Court of Chhattisgarh, Bilaspur from the date he assumes charge of his office.

Bilaspur, the 28th April 2005

No. 278/Complaint.—Whereas a Departmental Enquiry is contemplated against Shri Buddhram Nikunj, In-charge District & Sessions Judge and Special Judge under SC & ST (Prevention of Atrocities) Act, Durg for his grave misconduct.

And Whereas serious nature of act of misconduct warrants his suspension from service.

Now pursuant to powers conferred on the High Court as Disciplinary Authority under sub-rule (1) of Rule 9 of Chhattisgarh Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1966 and all other powers enabling the High Court to place a Judicial Officer under its control under suspension, the High Court hereby places Shri Buddhram Nikunj, In-charge District & Sessions Judge and Special Judge under SC & ST (Prevention of Atrocities) Act, Durg under suspension with immediate effect in contemplation of the Departmental Enquiry.

All concerned be informed accordingly.

Bilaspur, the 28th April 2005

No. 280/Complaint.—Whereas a Departmental Enquiry is contemplated against Shri Virendra Kumar Chanakya, Civil Judge Class-I and Additional Chief Judicial Magistrate, Dongargarh for his grave misconduct.

And Whereas serious nature of act of misconduct warrants his suspension from service.

Now pursuant to powers conferred on the High Court as Disciplinary Authority under sub-rule (1) of Rule 9 of Chhattisgarh Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1966 and all other powers enabling the High Court to place a Judicial Officer under its control under suspension, the High Court hereby places Shri Virendra Kumar Chanakya, Civil Judge Class-I and Additional Chief Judicial Magistrate, Dongargarh under suspension with immediate effectt in contemplation of the Departmental Enquiry.

All concerned be informed accordingly.

Bilaspur, the 5th May 2005

No. 292/Confdl./2005/II-15-66/2001 (Pt.II).—Shri Mahendra Kumar Tiwari, Member of Higher Judicial Service presently posted on deputation as Additional Secretary, Government of Chhattisgarh, Law & Legislative Affairs Department, Raipur is transferred and posted as Director, Judicial Officers, Training Institute, High Court of Chhattisgarh, Bilaspur from the date he assumes charge of his office.

Bilaspur, the 7th May 2005

No. 298/Confdl./2005/II-1-1/2005 (Pt. B. & C.).—It is hereby notified that pursuant to Notification No. K-13030/2/2005-US.II dated 2nd May 2005 of Government of India, Ministry of Law & Justice (Department of Justice), New Delhi, Hon'ble Shri Justice Satish Kumar Agnihotri and Hon'ble Shri Justice Dilip Raosaheb Deshmukh have assumed charge of the office of Additional Judges of the High Court of Chhattisgarh, Bilaspur in the forenoon of 5th May 2005.

Bilaspur, the 16th May 2005

No. 320/Confdl./2005/II-3-1/2005.—The High Court of Chhattisgarh, hereby, cancels the Order No. 310/Confdl./2005/II-3-1/2005 dated 13th May 2005 so far as it relates to the transfer and posting of Shri Ashok Kumar Lunia, IInd Civil Judge Class-I, Durg as IInd Civil Judge Class-I, Kawardha.

The High Court of Chhattisgarh, hereby, transfers Shri Chhameshwar Lal Patel, I Civil Judge Class-II & J. M. F. C., Durg and posts him in the vacant Court of Civil Judge Class-II & J. M. F. C. Kawardha.

बिलासपुर, दिनांक 1 जून 2005

क्रमांक 79/दो-2-2/2005.— श्री जुगल किशोर सिंह राजपूत, रजिस्ट्रार (सतर्कता), (उच्च न्यायिक सेवा), उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर दिनांक 31-03-2005 की अपरान्ह में अधिवार्षिकी आयु पर सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप उनके अवकाश लेखा में सेवानिवृत्ति तिथि को शेष अर्जित अवकाश में से 120 (एक सौ बीस) दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
आर. के. बेहार, रजिस्ट्रार जनरल.

Bilaspur, the 13th May 2005

No. 310/Confdl./2005/II-3-1/2005.—The High Court of Chhattisgarh, hereby, transfers the following Civil Judges Class-I & Judicial Magistrates First Class specified in Column No. (2) in the same capacity from the place shown in Column No. (3) and posts them at the place mentioned in column No. (4) in the Civil District mentioned in column No. (5) of the table below from the date they assume charge of their office :—

TABLE

S. No. (1)	Name & presently posted as (2)	From (3)	To (4)	Civil District (5)	Posted as (6)
1.	Smt. Anita Dahariya, IIIrd Additional Judge to the Court of 1st Civil Judge Class-I.	Raipur	Mahasamund	Raipur	II Civil Judge Class-I & Judicial Magistrate First Class.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.	Shri Ashok Kumar Sahu, IInd Civil Judge Class-I.	Kawardha	Dongargarh	Rajnandgaon	Civil Judge Class-I & Judicial Magistrate First Class.
3.	Shri Ashok Kumar Lunia, IInd Civil Judge Class-I.	Durg	Kawardha	Kabirdham	IInd Civil Judge Class-I & Judicial Magistrate First Class vice Shri Ashok Kumar Sahu.

Bilaspur, the 13th May 2005

No. 314/Confdl./2005/II-2-1/2005.—The following Members of Higher Judicial Service as specified in Column No. (2) are transferred from the place shown in Column No. (3) to the place shown in Column No. (4) and are posted in the capacity as mentioned in Column No. (6) from the date they assume charge of their office; and

The following Members of Higher Judicial Service are appointed as Additional Sessions Judges for their respective Sessions Division as mentioned in Column No. (5) from the date they assume charge of their office :-

TABLE

S. No. (1)	Name & present designation (2)	From (3)	To (4)	Sessions Division (5)	Posted as (6)
1.	Shri Kanak Prasad Kurre, IInd Additional District & Sessions Judge.	Durg	Ambikapur	Surguja	Special Judge under SC & ST (Prevention of Atrocities) Act.
2.	Shri Lakhan Singh, Ist Additional District & Sessions Judge.	Durg.	Rajnandgaon	Rajnandgaon	Special Judge under SC & ST (Prevention of Atrocities) Act.
3.	Shri Anuj Ram Dhruv, IIIrd Additional District & Sessions Judge.	Raigarh	Durg	Durg	Special Judge under SC & ST (Prevention of Atrocities) Act.
4.	Shri Mahadev Katulkar, Additional District & Sessions Judge.	Janjgir	Bilaspur	Bilaspur	Additional District & Sessions Judge vice Smt. Madhuri Katulkar.

By order of the High Court,
R. L. JHANWAR, Registrar (Vigilance).

Bilaspur, the 20th January 2005

No. 503/L.G./2005/II-2-4/2000.—Shri A. L. Nimonkar, District & Sessions Judge, Raigarh, is hereby, granted earned leave for 01 day for 23-08-2004.

On return from leave, Shri A. L. Nimonkar, is posted on the same post on which he was posted prior to his proceeding on the aforementioned leave.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri A. L. Nimonkar, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 190 days of earned leave are remaining in his leave account.

Bilaspur, the 20th January 2005

No. 504/L.G./2005/II-2-4/2000.—Shri A. L. Nimonkar, District & Sessions Judge, Raigarh, is hereby, granted earned leave for 01 day for 3-09-2004 along with permission to remain out of Headquarters.

On return from leave, Shri A. L. Nimonkar, is posted on the same post on which he was posted prior to his proceeding on the aforementioned leave.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri A. L. Nimonkar, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 189 days of earned leave are remaining in his leave account.

Bilaspur, the 20th January 2005

No. 505/L.G./2005/II-2-4/2000.—Shri A. L. Nimonkar, District & Sessions Judge, Raigarh, is hereby, granted earned leave for 01 day for 06-09-2004 along with permission to suffix holiday of 07-09-2004.

On return from leave, Shri A. L. Nimonkar, is posted on the same post on which he was posted prior to his proceeding on the aforementioned leave.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri A. L. Nimonkar, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 188 days of earned leave are remaining in his leave account.

Bilaspur, the 20th January 2005

No. 506/L.G./2005/II-2-4/2000.—Shri A. L. Nimonkar, District & Sessions Judge, Raigarh, is hereby, granted earned leave for 03 days from 13-09-2004 to 15-09-2004 along with permission to prefix holidays of 11-09-2004 & 12-09-2004 and to remain out of Headquarters from 11-09-2004 to 15-09-2004.

On return from leave, Shri A. L. Nimonkar, is posted on the same post on which he was posted prior to his proceeding on the aforementioned leave.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri A. L. Nimonkar, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 185 days of earned leave are remaining in his leave account.

Bilaspur, the 20th January 2005

No. 507/L.G./2005/II-2-4/2000.—Shri A. L. Nimonkar, District & Sessions Judge, Raigarh, is hereby, granted earned leave for 01 day for 16-09-2004.

On return from leave, Shri A. L. Nimonkar, is posted on the same post on which he was posted prior to his proceeding on the aforementioned leave.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri A. L. Nimonkar, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 184 days of earned leave are remaining in his leave account.

Bilaspur, the 20th January 2005

No. 508/L.G./2005/II-2-4/2000.—Shri A. L. Nimonkar, District & Sessions Judge, Raigarh, is hereby, granted earned leave for 01 day for 20-09-2004.

On return from leave, Shri A. L. Nimonkar, is posted on the same post on which he was posted prior to his proceeding on the aforementioned leave.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri A. L. Nimonkar, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 183 days of earned leave are remaining in his leave account.

Bilaspur, the 20th January 2005

No. 509/L.G./2005/II-2-4/2000.—Shri A. L. Nimonkar, District & Sessions Judge, Raigarh, is hereby, granted earned leave for 01 day for 24-09-2004.

On return from leave, Shri A. L. Nimonkar, is posted on the same post on which he was posted prior to his proceeding on the aforementioned leave.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri A. L. Nimonkar, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 182 days of earned leave are remaining in his leave account.

Bilaspur, the 22nd February 2005.

No. 1307/L.G./2005/II-2-27/2001.—Shri D. K. Bhatt, the then Special Judge under SC & ST (P. A.) Act, Durg, is hereby, granted earned leave for 06 days from 20-09-2004 to 25-09-2004.

On return from leave, Shri D. K. Bhatt, is posted on the same post on which he was posted prior to his proceeding on the aforementioned leave.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri D. K. Bhatt, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have beer working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 240+7 days of earned leave are remaining in his leave account.

Bilaspur, the 1st March 2005

No. 1486/L.G./2005/II-2-28/2001.—Shri Rangnath Chandrakar, District & Sessions Judge, Bilaspur is hereby, granted earned leave for 06 days from 11-10-2004 to 16-10-2004 along with permission to remain out of Headquarters from 10-10-2004 to opening hours of office on 18-10-2004.

On return from leave, Shri Rangnath Chandrakar, is posted on the same post on which he was posted prior to his proceeding on the aforementioned leave.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Rangnath Chandrakar had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 240+9 days of earned leave are remaining in his leave account.

Bilaspur, the 1st March 2005

No. 1487/L.G./2005/II-2-40/2001.—Shri Raghubir Singh, District & Sessions Judge, Raipur, is hereby, granted commuted leave for 04 days from 01-11-2004 to 04-11-2004.

On return from leave, Shri Raghubir Singh, is posted on the same post on which he was posted prior to his proceeding on the aforementioned leave.

During the period of commuted leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Raghubir Singh, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 284 days of half pay leave are remaining in his leave account.

Bilaspur, the 1st March 2005

No. 1488/L.G./2005/II-2-8/2004.—Shri Pradeep Kumar Shrivastava, Presiding Judge, Family Court, Raipur, is hereby, granted earned leave for 10 days from 29-07-2004 to 07-08-2004.

On return from leave, Shri Pradeep Kumar Shrivastava, is posted on the same post on which he was posted prior to his proceeding on the aforementioned leave.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Pradeep Kumar Shrivastava, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 240+1 days of earned leave are remaining in his leave account.

Bilaspur, the 1st March 2005

No. 1489/L.G./2005/II-3-19/2000.—Shri Sandeep Bakshi, the then Special Judge under SC & ST (P. A.) Act, Raipur, is hereby, granted commuted leave for 03 days from 11-08-2004 to 13-08-2004.

On return from leave, Shri Sandeep Bakshi, is posted on the same post on which he was posted prior to his proceeding on the aforementioned leave.

During the period of commuted leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Sandeep Bakshi, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave. 284 days of half pay leave are remaining in his leave account.

Bilaspur, the 1st March 2005

No. 1490/L.G./2005/II-2-16/2004.—Shri C. B. S. Patel, the then Special Judge under SC & ST (P. A.) Act, Bilaspur, is hereby, granted earned leave for 10 days from 12th to 21st July 2004 with permission to remain out of Headquarters from 10th July 2004 to 21st July 2004.

On return from leave, Shri C. B. S. Patel, is posted on the same post on which he was posted prior to his proceeding on the aforementioned leave.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri C. B. S. Patel, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 238+05 days of earned leave are remaining in his leave account.

Bilaspur, the 1st March 2005

No. 1491/L.G./2005/II-2-15/2004.—Shri Alok Jha, Special Judge under SC & ST (P. A.) Bilaspur, is hereby, granted earned leave for 5 days from 16-11-2004 to 20-11-2004 alongwith permission to remain out of Headquarters from 11-11-2004 to 21-11-2004.

On return from leave, Shri Alok Jha, is posted on the same post on which he was posted prior to his proceeding on the aforementioned leave.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Alok Jha, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 240+10 days of earned leave are remaining in his leave account.

Bilaspur, the 1st March 2005

No. 1492/L.G./2005/II-2-8/2004.—Shri Pradeep Kumar Shrivastava, Presiding Judge, Family Court, Raipur, is hereby, granted earned leave for 9 days from 02-12-2004 to 10-12-2004 with permission to leave Headquarters from 02-12-2004 to 12-12-2004.

On return from leave, Shri Pradeep Kumar Shrivastava, is posted on the same post on which he was posted prior to his proceeding on the aforementioned leave.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Pradeep Kumar Shrivastava, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 232 days of earned leave are remaining in his leave account.

Bilaspur, the 1st March 2005

No. 1493/L.G./2005/II-2-8/2004.—Shri Pradeep Kumar Shrivastava, Presiding Judge, Family Court, Raipur, is hereby, granted earned leave for 6 days from 17th to 22nd January 2005 with permission to prefix holidays of 15th & 16th January 2005 and suffix holiday of 23rd January 2005 and to leave Headquarters during the said period.

On return from leave, Shri Pradeep Kumar Shrivastava, is posted on the same post on which he was posted prior to his proceeding on the aforementioned leave.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Pradeep Kumar Shrivastava, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 232+09 days of earned leave are remaining in his leave account.

By order of the High Court,
K. P. S. NAIR, Additional Registrar.

बिलासपुर, दिनांक 2 अप्रैल 2004

क्रमांक 1703/दो-2-4/2000.— उच्च न्यायालय द्वारा श्री ए. एल. निमोणकर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ को दिनांक 12-01-2004 से दिनांक 31-01-2004 तक दोनों दिन सम्मिलित करके 20 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 10-01-04 एवं 11-01-04 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री ए. एल. निमोणकर को उसी पद पर पदस्थ किया जाता है, जिस पद पर वे उपरोक्तानुसार अवकाश पर जाने से पूर्व पदस्थ थे.

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री ए. एल. निमोणकर उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो वे अपने पद पर कार्यरत रहते.

अवकाश स्वीकृति के पश्चात् इनके खाते में 196 दिवस का अर्जित अवकाश शेष है.

बिलासपुर, दिनांक 12 अप्रैल 2004

क्रमांक 1769/दो-2-28/2001.— उच्च न्यायालय द्वारा श्री आर. एन. चन्द्राकर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर को दिनांक 19-04-2004 से दिनांक 24-04-2004 तक दोनों दिन सम्मिलित करके 6 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 18-04-2004 एवं पश्चात् में दिनांक 25-04-2004 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री आर. एन. चन्द्राकर को उसी पद पर पदस्थ किया जाता है, जिस पद पर वे उपरोक्तानुसार अवकाश पर जाने से पूर्व पदस्थ थे.

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. एन. चन्द्राकर, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो वे अपने पद पर कार्यरत रहते.

अवकाश स्वीकृति के पश्चात् इनके खाते में 240+9 दिवस का अर्जित अवकाश शेष है.

बिलासपुर, दिनांक 7 मई 2004

क्रमांक 2074/दो-2-4/2000.— उच्च न्यायालय द्वारा श्री ए. एल. निमोणकर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ को दिनांक 17-12-2003 से दिनांक 27-12-2003 तक दोनों दिन सम्मिलित करके 11 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री ए. एल. निमोणकर को उसी पद पर पदस्थ किया जाता है, जिस पद पर वे उपरोक्तानुसार अवकाश पर जाने से पूर्व पदस्थ थे.

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री ए. एल. निमोणकर उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो वे अपने पद पर कार्यरत रहते.

अवकाश स्वीकृति के पश्चात् इनके खाते में 202 दिवस का अर्जित अवकाश शेष है.

बिलासपुर, दिनांक 7 मई 2004

क्रमांक 2076/दो-2-4/2000.— उच्च न्यायालय द्वारा श्री ए. एल. निमोणकर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ को दिनांक 2-12-2003 को 1 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री ए. एल. निमोणकर को उसी पद पर पदस्थ किया जाता है, जिस पद पर वे उपरोक्तानुसार अवकाश पर जाने से पूर्व पदस्थ थे.

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री ए. एल. निमोणकर उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो वे अपने पद पर कार्यरत रहते.

अवकाश स्वीकृति के पश्चात् इनके खाते में 213 दिवस का अर्जित अवकाश शेष है.

बिलासपुर, दिनांक 7 मई 2004

क्रमांक 2078/दो-2-27/2001.— उच्च न्यायालय द्वारा श्री डी. के. भट्ट, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सरगुजा, स्थान-अंबिकापुर को दिनांक 16-2-2004 से दिनांक 17-2-2004 तक दोनों दिन सम्मिलित करके 2 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 14-2-2004 एवं 15-2-2004 एवं पश्चात् में दिनांक 18-2-2004 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री डी. के. भट्ट को उसी पद पर पदस्थ किया जाता है, जिस पद पर वे उपरोक्तानुसार अवकाश पर जाने से पूर्व पदस्थ थे.

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री डी. के. भट्ट उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो वे अपने पद पर कार्यरत रहते.

अवकाश स्वीकृति के पश्चात् इनके खाते में 240+13 दिवस का अर्जित अवकाश शेष है.

बिलासपुर, दिनांक 7 मई 2004

क्रमांक 2080/दो-2-40/2001.— उच्च न्यायालय द्वारा श्री रघुबीर सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जशपुर को दिनांक 05-04-2004 से दिनांक 08-04-2004 तक दोनों दिन सम्मिलित करके 4 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 3-4-2004 एवं 04-04-2004 एवं पश्चात् में दिनांक 9, 10 एवं 11-4-2004 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री रघुबीर सिंह को उसी पद पर पदस्थ किया जाता है, जिस पद पर वे उपरोक्तानुसार अवकाश पर जाने से पूर्व पदस्थ थे.

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री रघुबीर सिंह उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो वे अपने पद पर कार्यरत रहते.

अवकाश स्वीकृति के पश्चात् इनके खाते में 240+11 दिवस का अर्जित अवकाश शेष है.

बिलासपुर, दिनांक 20 मई 2004

क्रमांक 2297/दो-2-36/2001.— उच्च न्यायालय द्वारा श्री टी. पी. शर्मा, विशेष न्यायाधीश, दुर्ग को दिनांक 5-6-2004 से दिनांक 11-6-2004 तक दोनों दिन सम्मिलित करके 7 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 3-6-2004 एवं 4-6-2004 के ग्रीष्मकालीन अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री टी. पी. शर्मा को उसी पद पर पदस्थ किया जाता है, जिस पद पर वे उपरोक्तानुसार अवकाश पर जाने से पूर्व पदस्थ थे.

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री टी. पी. शर्मा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो वे अपने पद पर कार्यरत रहते.

अवकाश स्वीकृति के पश्चात् इनके खाते में 246 दिवस का अर्जित अवकाश शेष है.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
विजय कुमार श्रीवास्तव, रजिस्ट्रार जनरल.